

# राष्ट्रीय न्यास National Trust

## वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2024-25



सत्यमेव जयते



राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहु-दिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

**National Trust**

for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities  
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)  
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India

छठी मंजिल, एन.आई.एस.डी. बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

6th Floor, NISD Building, Plot No. G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110 075

दूरभाष /Tel.: 011- 65216000 ईमेल/E-mail: [contactus@thenationaltrust.in](mailto:contactus@thenationaltrust.in)

वेबसाइट/Website: [www.thenationaltrust.gov.in](http://www.thenationaltrust.gov.in)



# विषय सूची

संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	राष्ट्रीय न्यास के सदस्यों की सूची	
2	राष्ट्रीय न्यास के कर्मचारियों की सूची	
3	प्रस्तावना	
4	स्थानीय स्तरीय समिति	
5	कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति	
6	संगठनों का पंजीकरण	
7	राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र	
8	योजनाओं की मुख्य बातें और वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजना धारकों को जारी की गई धनराशि:	
8.1	दिशा (बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी) योजना	
8.2	विकास (डे-केयर) योजना	
8.3	दिशा-सह विकास (डे-केयर) योजना	
8.4	समर्थ (राहतकारी देखभाल) योजना	
8.5	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह) योजना	
8.6	समर्थ-सह-घरौंदा योजना (आवासीय) योजना	
8.7	निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना	
9	वार्षिक आम बैठक 2024	
10	राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियाँ	
(i)	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस	
(ii)	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना धारकों के साथ निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना पर बैठक	
(iii)	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2024	
(iv)	राष्ट्रीय न्यास में विभागीय राजभाषा समिति की बैठक	
(v)	हिन्दी कार्यशाला	
(vi)	हिन्दी पखवाड़ा	
(vii)	स्वच्छता ही सेवा अभियान	
(viii)	विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पर राष्ट्रीय बैठक	
(ix)	ओरिप्टेशन कार्यक्रम	
(x)	विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस	

- (xi) माता-पिता के लिये दिव्यांगों की देखभाल से संबंधित 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स
- (xii) बढ़ते कदम जागरूकता कार्यक्रम

- 11 शिकायत निवारण
- 12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- 13 अस्वीकारण
- 14 स्थानीय स्तरीय समितियों द्वारा वर्ष 2024-25 में नियुक्त कानूनी संरक्षक
- 15 राष्ट्रीय न्यास से वित्त पोषित योजना केन्द्रों के बारे में जानकारी
- 16 वार्षिक लेखा 2024-25



ऑटिज़म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास:

## 1. राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्रम सं०	नाम और पद	संपर्क विवरण
1	श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली secretary-msje@nic.in 011-24369055
2	श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली wb113@ifs.nic.in 011-24369069
3	सुश्री देबोलिना ठाकुर, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार,	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय thakurd@cag.gov.in 011-23387924/23073598 (फैक्स)
4	श्री के.आर. वैधीश्वरन, संयुक्त सचिव एवं सीईओ, राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नंबर जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 js_ceo_nt@thenationaltrust.in 011-65216001
5	संयुक्त सचिव	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय Srija.a@gov.in
6	आर्थिक सलाहकार	एनएसएपी एवं आईटी, ग्रामीण विकास मंत्रालय kalyani.mishra@nic.in eansap-mord@nic.in 011-24650535
7	संयुक्त सचिव	शहरी विकास मंत्रालय
8	संयुक्त सचिव	सामाजिक सुरक्षा प्रभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय v.bhalla@nic.in 011-23710239
9	संयुक्त सचिव	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Cwjs-mwcd@gov.in 011-23070682
10	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

11	सुश्री उमा एस सेठ, प्रतिनिधि, फिक्की	अपर निदेशक (फिक्की सीएसआर की टीम लीडर), फिक्की, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 uma.seth@ficci.com 011-23357243 / 9899324304
12	डा. सुधीर काल्हान	अध्यक्ष, एसोचैम राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद और अध्यक्ष, मिनिमल एक्सेस, मेटाबोलिक और बेरिएट्रिक सर्जरी संस्थान सर गंगा राम अस्पताल चौथी मंजिल, वाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र और पुस्तकालय भवन, 1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001 sudhirkalhan@gmail.com 9810067050
13	श्रीमती स्नीला दास गुप्ता	सदस्य, सीआईआई-इंडिया बिजनेस एंड डिसेबिलिटी नेटवर्क और लीड एसएमई: डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इन्क्लूजन एंड सप्लायर डाइवर्सिटी टी कंसल्टेंसी सर्विसेज sreela.dasgupta@tcs.com 9007796660
14	सुश्री रूबी सिंह, प्रतिनिधि - दिव्यांगजन माता- पिता संघ (ऑटिज्म के क्षेत्र में) माता-पिता संघ - एएलएफएए, कर्नाटक	C/o कर्नल पीके सिंह, #5/4, वेन्नरपेट ऑफिसर्स कॉलोनी ओल्ड रेस कोर्स रोड, ऑस्टिन टाउन, बैंगलोर - 560047 alfaa2010@gmail.com; rubysingh.pms@gmail.com 9741418103
15	डा. सपम जसोवंत सिंह, प्रतिनिधि पीडब्ल्यू संघ (बहु-दिव्यांगता क्षेत्र) पीडब्ल्यू संघ, दिव्यांग डेवलपमेंट फाउंडेशन, मणिपुर	57, सगोलबंद तेरा पुखरी मापल इम्फाल पश्चिम, इम्फाल - 795001, पश्चिम मणिपुर hdfoundationmanipur@gmail.com; sapamjasowanta2399@gmail.com 9612157246
16	श्रीमती पूजा सुरेशभाई वाघासिया, प्रतिनिधि, एसोसिएशन ऑफ पैरेंट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी (बहुदिव्यांगता क्षेत्र) एसोसिएशन ऑफ पैरेंट्स - साधना पैरेंट्स एसोसिएशन, गुजरात	राजन, शिवसृष्टि - 2, पेडक रोड, भिंड भारतीय स्कूल, राजकोट - 360003, गुजरात patelridhi007@gmail.com 8128138092
17	श्री गुरइकबाल सिंह बेदी, प्रतिनिधि - स्वैच्छिक संगठन (ऑटिज्म के क्षेत्र में) स्वैच्छिक संगठन - ऑटिज्म इंडिया टुडे, पंजाब	5, हरगोविंद नगर, सरहिंद रोड, पटियाला - 147004, पंजाब membernationaltrust@gmail.com; presidentautismindiatoday@gmail.com 9356767367 / 9417686400
18	डॉ. आशीष कुमार, प्रतिनिधि - स्वैच्छिक संगठन (सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में), स्वैच्छिक संगठन- आस्था पुनर्वास, केयर सोसायटी, ओडिशा	सुपुत्र जनदेव सिंह, ब्लॉक बी स्वास्तिक इंकलेव, फ्लैट नं0 2ए, बख्शी बाजार, कटक सदन, ओडिशा - 753001 ashish_ashtha@rediffmail.com 7749956774

19	श्री पुष्प पाल सिंह, प्रतिनिधि - स्वैच्छिक संगठन (बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी) के क्षेत्र में) पूजा सेवा संस्थान, उ.प्र.	सी-47, राजेन्द्र नगर, बरेली, इज्जत नगर, उ.प्र. designviews540554@gmail.com; designviews540554@yahoo.com 8218370093
20	श्री मोहन कुमार प्रतिनिधि- दिव्यांगजन संघ (बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में) दिव्यांगजन संघ - कोशी क्षेत्रीय दिव्यांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति, बिहार	डी.बी.रोड, सहरसा, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, राजदरबार होटल के पास, सहरसा, बिहार koshibiklang1991@gmail.com 9097067291
21	श्री एवेलिनो निकोलाउ डे, प्रतिनिधि- दिव्यांगजन संघ (सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में)	ला कैसिटा, मकान नंबर 482, वृन्दावन मेडिकल सेंटर के सामने, मीरामार पंजिम, गोवा 403001 avelinodesa@gmail.com 9326120903, 9284533168
22	सुश्री अमनप्रीत कौर, प्रतिनिधि - दिव्यांगजनों के माता-पिता का संघ {बौद्धिक दिव्यांगता (पूर्व में मानसिक मंदता) के क्षेत्र में} माता-पिता संघ - चानन एसोसिएशन फॉर एमआर चिल्ड्रेन, पंजाब	432-एल, मॉडल टाउन, जालंधर, पंजाब-144003 randev.nsm@gmail.com 7009348225

## 2. राष्ट्रीय न्यास के कर्मचारियों की सूची

क्रम सं०	नाम	पद	ई-मेल आईडी
1	श्री राजेश सचदेवा	उप-निदेशक	dd@thenationaltrust.in
2	श्री नवनीत कुमार	कार्यक्रम अधिकारी	po@thenationaltrust.in
	श्री अमित कुमार आशुतोष	लेखाधिकारी	ao@thenationaltrust.in
4	श्री एस के ठुकराल	निजी सचिव	pstojs-ceo@thenationaltrust.in
5	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी	निजी सचिव	shreshtha@thenationaltrust.in
6	श्रीमती मोनिका वाधवा	सहायक	monika@thenationaltrust.in
7	श्रीमती वंदना चोपडा	कार्यक्रम एसोसिएट	vandana@thenationaltrust.in
8	श्रीमती मुस्कान खुल्लर	कार्यक्रम एसोसिएट	contactus@thenationaltrust.in muskan@thenationaltrust.in
9	श्री बी एस नेगी	यू डी सी	bharat@thenationaltrust.in

### 3. परिचय:

राष्ट्रीय न्यास संसद के एक अधिनियम के माध्यम से गठित एक स्वायत्त निकाय है जिसका नाम है "ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999"।

राष्ट्रीय न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

- ए) दिव्यांगजनों को समर्थ और सशक्त बनाना ताकि वे उस समाज से पूरी तरह जुड़कर यथासंभव स्वतंत्र जीवनयापन कर सकें, जिसके वे अभिन्न अंग हैं;
- बी) दिव्यांगजनों को अपने ही परिवार में रहने की सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिये सहायता प्रदान करना;
- सी) दिव्यांगजनों के परिवार में संकटकाल में आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना;
- डी) दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान करना जिन्हें पारिवारिक सहायता नहीं मिलती;
- ई) माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में दिव्यांगजनों की देखभाल और सुरक्षा उपायों को प्रोत्साहित करना;
- एफ) दिव्यांगजनों, जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, के लिये कानूनी संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तैयार करना;
- जी) दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और सुरक्षा अधिकार प्राप्त किये जाने को सुगम बनाना; और
- एच) कोई अन्य कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों - कानूनी और कल्याण - के निर्वहन के लिए की गई है। दिव्यांगजनों को स्थानीय स्तर की समितियों (एलएलसी) के माध्यम से और कानूनी संरक्षकता प्रदान करके कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आश्रय और सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### 4. स्थानीय स्तरीय समिति

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक स्थानीय स्तर की समिति का गठन किया जाना आवश्यक है जिसका कार्यकाल तीन साल के लिए अथवा बोर्ड द्वारा पुनर्गठित किये जाने तक रहेगा। यह समिति बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों से गठित की जाती है: -

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के पद से नीचे का न हो;
- राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (टी) में परिभाषित दिव्यांगजन।

स्थानीय स्तरीय समिति का कार्य कानूनी अभिभावकों की स्क्रीनिंग, नियुक्ति, निगरानी और हटाना है। एलएलसी जागरूकता

पैदा करने, अभिसरण और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

देश में 770 एलएलसी का गठन किया गया है और डीसी/डीएम इसके अध्यक्ष हैं।

## 5. कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति

- क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14-17 में ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए संरक्षकता पर विस्तार से जानकारी दी गई है। ऐसे मामलों का निपटान स्थानीय स्तर की समिति करेगी। कानूनी संरक्षकता आवश्यकता आधारित एक उपयुक्त प्रावधान है।
- ख) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तरीय समिति को नियम 16(1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता के व्यक्तियों के लिए नियम 16(2) के तहत फॉर्म बी में संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान दिव्यांगजनों को उनकी संपत्तियों सहित उनके हितों की निगरानी और सुरक्षा के लिए तंत्र भी उपलब्ध कराता है। ये सभी फॉर्म ऑनलाइन लीगल गार्जियनशिप मॉड्यूल में तैयार किये गए हैं।
- ग) संरक्षक वह व्यक्ति होता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति या दोनों की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह उस व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है जिसका उसे संरक्षक नियुक्त किया गया है। वह व्यक्ति दिव्यांगजन की तरफ से उसके और उसकी संपत्ति के बारे में सभी कानूनी निर्णय लेता है।
- घ) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता किसी व्यक्ति की एक विशेष स्थिति है क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी वे हमेशा अपने जीवन का प्रबंधन करने या अपनी बेहतरी के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, उन्हें जीवन भर कानूनी क्षेत्रों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहुदिव्यांगता के मामलों में, सक्षम तंत्र और/या वैज्ञानिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण केवल सीमित संरक्षकता की आवश्यकता हो सकती है, जो ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अलग अलग स्तरों पर स्वतंत्रता से कार्य करने में सक्षम बनाती है।
- (च) वर्ष 2016 से पहले 30,304 संरक्षकों की नियुक्ति ऑफलाइन मोड में हुई थी। इसके बाद नई योजना प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के माध्यम से 31.3.2025 तक 43,737 संरक्षकों यानी कुल 74,041 संरक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 01.04.2024 से 31.3.2025 तक स्वीकृत 5,796 कानूनी संरक्षकता आवेदन शामिल हैं।

## 6. संगठनों का पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा कोई भी दिव्यांग व्यक्तियों का संघ, दिव्यांगजन के माता-पिता का संघ या स्वैच्छिक संगठन जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट अधिनियम और दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत संबंधित राज्य में और नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत हैं, राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए प्रस्ताव फॉर्म 'ई' (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से खोला जायेगा) के साथ एक ऑनलाइन फॉर्म भरकर, संगठन के प्रमुख द्वारा विधिवत मुहर लगाकर और हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना आवश्यक है। न्यास की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठन का न्यास के साथ पंजीकरण आवश्यक होगा। गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष है। गैर सरकारी संगठनों को

पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए पंजीकरण की समाप्ति से 6 महीने पहले आवेदन करना होगा।

राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 608 है। दिनांक 01.04.2024 से 31.3.2025 तक पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की संख्या 105 है।

## 7. राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने और संबंधित राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय/संपर्क स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय न्यास के एक प्रतिष्ठित पंजीकृत संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास संस्थागत गतिविधियों जैसे पंजीकृत संगठनों/स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) की बैठकें, निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन/नवीनीकरण, कवर न किए गए जिलों में एनजीओ को बढ़ावा देना, दस्तावेजीकरण/रिपोर्टिंग आदि के संचालन के लिए धन उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय न्यास ने जनवरी, 2024 में एसएनएसी के दिशानिर्देशों और एसएनएसी की नियुक्ति के मानदंडों को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, अब तक 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और त्रिपुरा में एसएनएसी की नियुक्ति की जा चुकी है।

## 8. योजनाओं की मुख्य विशेषताएं और वर्ष 2024-25 के दौरान योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

### 8.1 दिशा (बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी) योजना

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाली चार दिव्यांगताओं के 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना है और इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की थैरेपी और प्रशिक्षण के लिये तथा परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए दिशा केंद्र स्थापित करना है। गैर सरकारी संगठनों को आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों को एक दिन में कम से कम 4 घंटे (सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) डे-केयर सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। केंद्र में देखभालकर्ता और आया के साथ-साथ दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिक्षक या बाल्यकालिक हस्तक्षेप चिकित्सक, फिजियोथैरेपिस्ट या व्यावसायिक चिकित्सक और परामर्शदाता होना चाहिए।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत 19 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है और प्रति वर्ष लगभग 660 लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसमें 01-04-2024 से 31-3-2025 तक 21 दिशा केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 374 दिव्यांगजनों के लिए 2 करोड़ 01 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

### 8.2 विकास (डे-केयर योजना)

यह एक डे केयर योजना है, जो 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों के लिए वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती उम्र के दिव्यांगजनों के पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों को बढ़ाना है। जब दिव्यांगजन विकास केंद्र में रहते हैं तो वह केंद्र दिव्यांगजनों को देखभाल संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए दिन में कुछ समय निकालने में भी मदद करता है। परियोजना धारकों को आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ दिव्यांगजनों को दिन में कम से

कम 6 घंटे (सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) डे-केयर सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। डे केयर महीने में कम से कम 21 दिन खोला जाना चाहिए।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान इस योजना पर 34 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और हर साल लगभग 1020 लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इसमें 01-04-2024 से 31-3-2025 तक 32 विकास केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 786 दिव्यांगजनों के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

### 8.3 दिशा-सह विकास योजना (डे केयर योजना)

पंजीकृत संगठनों को, जो कई योजनाएं संचालित कर रहे थे, विलय योजना को संचालित करने का विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों की सहमति के बाद इन संगठनों को दिशा-सह-विकास योजना आबंटित की गई। दिशा-सह-विकास योजना (डे केयर) दिनांक 01.04.2018 से संचालित की जा रही है।

पिछले 6 वर्षों के दौरान इस योजना पर 37 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है और इससे प्रति वर्ष लगभग 1350 लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इसमें 01-04-2024 से 31-3-2025 तक 32 दिशा-सह-विकास केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 1010 दिव्यांगजनों के लिए 5 करोड़ 10 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

### 8.4 समर्थ (राहतकारी देखभाल योजना)

समर्थ योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में शामिल चार दिव्यांगताओं में से कम से कम एक से प्रभावित निराश्रितों, अनाथों या बेसहारा, संकट में फंसे परिवारों सहित बीपीएल और एलआईजी परिवारों के दिव्यांगजनों के लिए राहत देखभाल आवास प्रदान करना है। यह योजना परिवार के सदस्यों को अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए राहत का समय देने का अवसर प्रदान करती है। योजना के तहत समर्थ केंद्रों की स्थापना सभी आयु वर्ग के लिये सामूहिक आवास सुविधा प्रदान करने के लिये की गई है जिसमें पेशेवर डॉक्टरों से बुनियादी चिकित्सा देखभाल के प्रावधान सहित स्वीकार्य जीवन स्तर के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा शामिल है।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान इस योजना पर 16 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है और इससे प्रति वर्ष लगभग 390 लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इसमें 01-04-2024 से 31-3-2025 तक 10 समर्थ केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 275 दिव्यांगजनों के लिए 1 करोड़ 96 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

### 8.5 घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक आवास)

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता से प्रभावित वयस्कों के लिये जीवनभर सामूहिक आवास और न्यूनतम गुणवत्ता वाली देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पूरे देश में सुनिश्चित देखभाल प्रणाली के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे की स्थापना की सुविधा मिलती है, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन-यापन को प्रोत्साहन मिलता है और स्थायी आधार पर देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

यह योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। पिछले 9 वर्षों के दौरान इस योजना पर 29 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है और इससे प्रति वर्ष लगभग 480 लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसमें 01-04-2024 से 31-3-2025 तक 21 घरौंदा केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 358 दिव्यांगजनों के लिए 3 करोड़ 84 लाख रुपये जारी करना शामिल है।



## 8.6 समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय देखभाल) योजना

पंजीकृत संगठनों को, जो कई योजनाएं संचालित कर रहे थे, विलय योजना को लागू करने का विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों की सहमति के बाद इन संगठनों को समर्थ-सह-घरौंदा योजना आबंटित की गई। समर्थ-सह-घरौंदा योजना (आवासीय) 01.04.2018 से संचालित की जा रही है।

पिछले 6 वर्षों के दौरान इस योजना पर 17 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है और इससे प्रति वर्ष लगभग 390 लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसमें 01-04-2024 से 31-3-2025 तक 10 समर्थ-सह-घरौंदा केंद्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले 295 दिव्यांगजनों के लिए 3 करोड़ 07 लाख रुपये जारी करना शामिल है।

## 8.7 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर रहा है। योजना के तहत 1 लाख रुपये का बीमा शामिल है, जिसमें ओपीडी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, थेरेपी, सुधारत्मक सर्जरी, वैकल्पिक चिकित्सा और परिवहन शामिल है। योजना के तहत नामांकन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और उपचार किसी भी अधिकृत चिकित्सक/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से कराया जा सकता है। यह प्रतिपूर्ति के आधार पर है। उपरोक्त शर्तें पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति मामूली शुल्क का भुगतान करके इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। जिन दिव्यांगजनों के पास प्राकृतिक माता-पिता के अलावा कोई अन्य कानूनी अभिभावक है, उनसे नामांकन/नवीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत आवेदन न केवल राष्ट्रीय न्यास के 608 पंजीकृत संगठनों के माध्यम से, बल्कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लाभार्थी या उनके माता-पिता/देखभालकर्ता यूडीआईडी कार्ड संख्या या 7 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी नामांकन संख्या (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ) प्रदान करने के बाद राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट के माध्यम से निरामय बीमा योजना के अंतर्गत सीधे नामांकन भी करा सकते हैं। राष्ट्रीय न्यास नामांकन और दावों से संबंधित समस्याओं को समझने और उनका शीघ्र समाधान करने के लिए पंजीकृत संगठनों, एनआई/सीआरसी, बीमा कंपनी और टीपीए के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 52,677 दिव्यांगजनों का नामांकन किया गया। इस दौरान (01.04.2024 से 31.03.2025 तक) 13 करोड़ 22 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। वर्तमान में यह योजना मेसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से चलाई जा रही है।

## 9. वार्षिक आम बैठक


राष्ट्रीय न्यास की 24वीं वार्षिक आम बैठक 24 सितंबर, 2024 को हाइब्रिड मोड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव और राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव और सीईओ ने राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्यों, पंजीकृत संगठनों और हितधारकों का स्वागत किया, जो व्यक्तिगत रूप से और साथ ही हाइब्रिड मोड में उपस्थित थे। राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव और सीईओ ने वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय न्यास अध्यक्ष ने दिव्यांगता की रोकथाम के लिए जन्म से पहले आवश्यक जांच एवं दवा लेनेकी जरूरत पर बल दिया। उन्होंने गैर सरकारी संगठनों को परोपकारी गतिविधि करने के लिए अनुरोध किया जिससे उनकी संस्था आत्मनिर्भर बन सके। चर्चा के दौरान, योजना केंद्रों के निरीक्षण, दावों के पंजीकरण न करने और निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निपटान से संबंधित प्रतिभागियों से प्राप्त विभिन्न सुझावों/विचारों पर विस्तार से चर्चा की गयी। राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड सदस्यों ने दिव्यांगता के क्षेत्रों में गतिविधियों की बेहतरी के लिए अपने विशिष्ट इनपुट भी साझा किए।



श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षता में आयोजित 24वीं वार्षिक आम बैठक

## 10. राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियाँ:

- (i) विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस: राष्ट्रीय न्यास और देश भर में इसके 600 से अधिक पंजीकृत संगठनों ने 2 अप्रैल 2024 को विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस मनाया। इस अवसर पर, राष्ट्रीय न्यास ने वर्चुअल माध्यम से "अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम" का आयोजन किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव और राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष, श्री राजेश अग्रवाल ने इस कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों, पेशेवरों, आदर्श व्यक्तियों और ऑटिज़्म श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजनों के अभिभावकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑटिज़्म को समझना, बाल्यकालिक हस्तक्षेप, ऑटिज़्म की वर्तमान स्थिति, ऑटिज़्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा इन दिव्यांगजनों के लिए सहायक आवास के प्रावधान जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 600 से अधिक अभिभावकों, गैर सरकारी संगठनों और पेशेवरों ने भाग लिया।



चर्चा में भाग लेती श्रीमति मेरी बरूआ एक्शन फार ऑटिज़्म, दिल्ली एवं श्रीमति हरप्रित कौर, ऑटिज़्म इंडिया टुडे, पटियाला

- (ii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना धारकों के साथ निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना पर बैठक: यह बैठक दिनांक 17-05-2024 को वर्चुअल आधार पर आयोजित की गई। प्रतिभागियों को योजना की विस्तृत जानकारी एवं इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2024: राष्ट्रीय न्यास में दिनांक 21.06.2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2024 का आयोजन किया गया। पंजीकृत संगठन दिल्ली के दिव्यांगजनों और राष्ट्रीय न्यास के पदाधिकारियों ने योग सत्र में भाग लिया।



(राष्ट्रीय न्यास परिसर में योगदिवस का आयोजन)

iv) राष्ट्रीय न्यास में विभागीय राजभाषा समिति की बैठक- राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.आर. वैधेश्वरन की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2024 को राष्ट्रीय न्यास में विभागीय राजभाषा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, समिति के सदस्यों ने कार्यालय में हिंदी के प्रयोग पर चर्चा की और निर्णय लिया कि राष्ट्रीय न्यास में हिंदी में कार्य करने के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

(v) हिंदी कार्यशाला -

क) राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में दिनांक 21.06.2024 और 09.09.2024 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री राजेश कुमार मीणा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। श्री राजेश कुमार मीणा ने कार्यशाला के दौरान विभिन्न दैनिक सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा में नोट्स तैयार करने पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

ख) राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में दिनांक 20.12.2024 को भी हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राजेश कुमार मीणा, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। कार्यशाला के दौरान, श्री मीणा ने हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति और महत्व पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने दैनिक कार्यों में राजभाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया और एक हिंदी भाषा प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया गया।


(vi) हिन्दी पखवाड़ा: राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में 13 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 18 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में हिन्दी से जुड़ी कई प्रतियोगिताओंका आयोजन किया गया जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

(vii) स्वच्छता ही सेवा अभियान: राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में 14 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया गया। इस कार्यक्रम का विषय "कचरा मुक्त भारत" था। इस विषय पर आयोजित जमीनी गतिविधियों में, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। राष्ट्रीय न्यास द्वारा अपने परिसर में स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।



राष्ट्रीय न्यास के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान

viii) विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पर राष्ट्रीय बैठक: 6 अक्टूबर 2024 को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पर वर्चुअल आधार पर राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र के प्रख्यात और पेशेवर विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री के.आर. वैधेश्वरन ने अपने उद्घाटन भाषण में सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इस वर्चुअल बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड सदस्य, सरकारी अधिकारी, संगठन और सेरेब्रल पाल्सी के श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले पेशेवर आदि शामिल हुए।



सेरेब्रल पाल्सी के क्षेत्र में प्रख्यात विशेषज्ञों और पेशेवरों की चर्चा

(ix) ओरिएंटेशन कार्यक्रम: राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में दिनांक 19 मार्च 2025 को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बहु-विषयक दृष्टिकोण से मानव व्यवहार का अन्वेषण और समझ प्रदान करना था, जिसमें दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास की पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल था। इस सत्र में मनोसामाजिक पुनर्वास (एमपीएसआर) में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे कुल 32 स्नातकोत्तर विद्यार्थी और 2 संकाय सदस्य शामिल हुए।



श्री के.आर. वैधीस्वरन, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ओरिएंटेशन सत्र को संबोधन करते हुए।

- x) **विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस:** विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2025 को राष्ट्रीय न्यास कार्यालय ने श्री राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष राष्ट्रीय न्यास एवं सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में डाउन सिंड्रोम अभिभावक संघ के सहयोग से डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ावा देना और डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों का उल्लेख करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना था, जिनमें डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्तियों के माता-पिता, राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठन, गैर सरकारी संगठन और दिव्यांगता क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर शामिल थे। भारतीय पुनर्वास परिषद् के प्रायोजन के तहत कार्यक्रम में भाग लेने वाले पेशेवरों को सीआरई (सतत पुनर्वास शिक्षा) अंक प्रदान किए गए।



डाउन सिंड्रोम दिवस पर राष्ट्रीय न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन एवं पेशेवरों का सम्मान।

- xi) **माता-पिता के लिये दिव्यांगों की देखभाल से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स:** राष्ट्रीय न्यास, दिनांक 06.03.2024 को बौद्धिक दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को राष्ट्रीय संस्था, सिकंदराबाद में बोर्ड सदस्यों, राष्ट्रीय संस्थाओं के निदेशकों एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के अधिकारियों के साथ बैठक कर, दिव्यांगजनों के अभिभावकों के लिए केयर गिवर्स कोर्स बनाने की अनुशंसा की। इसके तहत आरसीआई के मानदंडों के अनुसार, राष्ट्रीय संस्थानों एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से माता-पिता के लिए दिव्यांगों की देखभाल से संबंधित 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के माता-पिता को उच्च-गुणवत्ता और व्यक्ति-केंद्रित सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञान, कौशल और आवश्यक जानकारी प्रदान करना है।

(xii) **बढ़ते कदम जागरूकता कार्यक्रम:**

श्रोत जहां राष्ट्रीय न्यास की योजना से चालित नहीं है। एवं उत्तर पूर्वी राज्यों एवं जम्मू काश्मीर में जागरूकता कार्यक्रम स्वीकृत किया जिसमें 14 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित की गयी।



बढ़ते कदम जागरूकता कार्यक्रम की झलकियां

## 11. शिकायत निवारण

भारत सरकार के पीजी पोर्टल के साथ-साथ अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समाधान किया गया और तुरंत जवाब दिया गया।

## 12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राष्ट्रीय न्यास में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय न्यास ने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), चंडीगढ़ के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत थर्ड पार्टी ट्रांसपैरेंसी ऑडिट किया है। वर्तमान अपीलीय प्राधिकारी और लोक सूचना अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-

### अपीलीय प्राधिकारी

श्री के.आर. वैधीस्वरन

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

राष्ट्रीय न्यास

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग

प्लॉट जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

### लोक सूचना अधिकारी

श्री नवनीत कुमार

कार्यक्रम अधिकारी

राष्ट्रीय न्यास

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग

प्लॉट जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय न्यास को 15 ऑफ़लाइन और 135 ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा 7 ऑनलाइन आरटीआई अपीलें भी प्राप्त हुईं। सभी आवेदनों एवं अपीलों का निराकरण समय-सीमा में किया गया।

### 13. अस्वीकरण

हिन्दी और अंग्रेजी रिपोर्ट के बीच किसी भी अंतर/विसंगति क मामले में कोई भी निर्णय निकालने के लिए अंग्रेजी संस्करण को स्वीकार/प्रचलित माना जाएगा।

### 14. स्थानीय स्तरीय समितियों द्वारा वर्ष 2024-25 में कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति

क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.	क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.
<b>आंध्र प्रदेश</b>			<b>9</b>		
1	अनंतपुर	1	9	दक्षिण पश्चिम दिल्ली	14
2	अन्नमाय्या	8	10	पश्चिम दिल्ली	5
3	डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी (कडप्पा)	1	<b>गोआ</b>		
4	कुरनूल	10	1	दक्षिण गोआ	9
5	श्रीकाकुलम	2	<b>गुजरात</b>		
6	तिरुपति	2	1	अमरेली	2
7	विशाखापत्तनम	18	2	बनासकांठा	1
<b>असम</b>			3	भरुच	7
1	बरपेटा	1	4	भावनगर	23
2	गोलपाड़ा	2	5	बोटाड	7
3	जोरहाट	8	6	छोटाउदेपुर	1
4	करीमगंज	2	7	दाहोद	4
<b>बिहार</b>			8	देवभूमि द्वारका (खमभालिया)	19
1	गोपालगंज	1	9	गांधीनगर	7
2	मुगेर	1	10	जामनगर	19
3	पटना	1	11	जूनागढ़	13
<b>चंडीगढ़</b>			12	कच्छ-भुज	11
1	चंडीगढ़	22	13	खेडा (नडियाड)	3
<b>छत्तीसगढ़</b>			14	महिसागर (लूनावाडा)	1
1	कोर्बा	1	15	मोरबी	2
2	महासमुन्द्र	1	16	पंचमहल	1
3	रायपुर	17	17	पाटन	2
<b>दिल्ली</b>			18	राजकोट	60
1	मध्य दिल्ली	4	19	साबरकांठा	1
2	पूर्व दिल्ली	2	20	सूरत	46
3	नई दिल्ली	6	21	सुरेन्द्र नगर	3
4	उत्तर दिल्ली	7	22	वडोदरा	13
5	उत्तर पूर्व दिल्ली	8	23	वलसाड	4
6	उत्तर पश्चिम दिल्ली	13	<b>हरियाणा</b>		
7	शाहदरा	7	1	अंबाला	1
8	दक्षिण दिल्ली	19	2	फरीदाबाद	9
			3	गुड़गांव	12
			4	हिसार	9



क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.
5	कैथल	4
6	कुरुक्षेत्र	1
7	पंचकुला	8
8	सिरसा	1
9	सोनीपत	5
10	यमुनानगर	6
<b>हिमाचल प्रदेश</b>		<b>82</b>
1	बिलासपुर	2
2	चंबा	9
3	हमीरपुर	12
4	कांगड़ा	14
5	मंडी	1
6	शिमला	6
7	सिरमौर	20
8	सोलन	12
9	उना	6
<b>जम्मू और कश्मीर</b>		<b>16</b>
1	गंदरबल	7
2	जम्मू	1
3	कठुआ	1
4	किश्तवाड़	1
5	कुपवाड़ा	1
6	पुलवामा	2
7	सांबा	2
8	ऊधमपुर	1
<b>झारखंड</b>		<b>25</b>
1	पूर्वी सिंहभूम	25
<b>कर्नाटक</b>		<b>76</b>
1	बेलगावी	4
2	बंगलूरु शहरी	43
3	चामराजनगर	1
4	दक्षिण कन्नड़	12
5	धारवाड़	1
6	कोडागू	3
7	मंड्या	3
8	मैसूर	4
9	उडुपी	4
10	विजय नगर	1
<b>केरल</b>		<b>2811</b>
1	अलपुझा	261
2	अर्णाकुलम	152

क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.
3	इदुक्की	105
4	कन्नूर	141
5	कसारगोड	88
6	कोल्लम	235
7	कोट्टायम	57
8	कोझीकाड	346
9	मल्लपुरम	840
10	पलक्कड़	100
11	पथनमथिट्टा	40
12	तिरुवनंतपुरम	126
13	त्रिशूर	214
14	वायनाड	106
<b>मध्य प्रदेश</b>		<b>162</b>
1	अगार मालवा	1
2	बालाघाट	6
3	बेतूल	2
4	भिंड	3
5	भोपाल	16
6	छतरपुर	1
7	छिंदवाड़ा	21
8	गुना	1
9	इंदौर	26
10	जबलपुर	33
11	कटनी	2
12	मांडला	1
13	नर्मदापुरम	5
14	सागर	7
15	सिवनी	2
16	उज्जैन	31
17	विदिशा	4
<b>महाराष्ट्र</b>		<b>945</b>
1	अहमदनगर	96
2	अमरावती	57
3	औरंगाबाद	21
4	बीड	29
5	बुलढाना	4
6	धुले	45
7	गढचिरौली	1
8	गोंदिया	21
9	हिंगोली	11
10	जलगांव	9

क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.
11	कोल्हापुर	20
12	लातूर	4
13	मुंबई सिटी	48
14	मुंबई उपनगर	75
15	नागपुर	22
16	नांदेड़	9
17	नंदुरबार	5
18	नाशिक	24
19	उस्मानाबाद	14
20	पालघर	17
21	परभणी	15
22	पुणे	114
23	रायगढ़	14
24	रत्नागिरी	203
25	सांगली	6
26	सतारा	11
27	सिंधुदुर्ग	3
28	सोलापुर	23
29	ठाणे	12
30	वर्धा	4
31	वाशिम	3
32	यवतमाल	5
<b>मणिपुर</b>		<b>2</b>
1	इंफाल पूर्व	2
<b>मेघालय</b>		<b>1</b>
1	पूर्वी गारो हिल्स	1
<b>मिजोरम</b>		<b>2</b>
1	लुंगलेई	2
<b>ओडिशा</b>		<b>17</b>
1	अंगुल	1
2	कटक	4
3	ढेंकनाल	1
4	गंजाम	5
5	जगतसिंहपुर	2
6	जाजपुर	3
7	मयूरभंज	1
<b>पुद्दुचेरी</b>		<b>35</b>
1	कराईकल	23
2	पांडिचेरी	12
<b>पंजाब</b>		<b>89</b>
1	अमृतसर	1

क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.
2	फरीदकोट	2
3	फतेहगढ़ साहिब	6
4	गुरदासपुर	3
5	होशियारपुर	17
6	जालंधर	13
7	लुधियाना	2
8	मानसा	1
9	पठानकोट	4
10	पटियाला	10
11	रूपनगर	1
12	एसएस नगर	27
13	श्री मुक्तसर साहिब	1
14	तरन तारन	1
<b>राजस्थान</b>		<b>43</b>
1	अजमेर	15
2	चित्तौड़गढ़	2
3	चुरू	1
4	हनुमानगढ़	2
5	जयपुर	8
6	जोधपुर	5
7	नागौर	5
8	सीकर	1
9	सिरोही	1
10	श्रीगंगानगर	2
11	(-)	1
<b>सिक्किम</b>		<b>1</b>
1	पश्चिम सिक्किम	1
<b>तमिलनाडु</b>		<b>606</b>
1	अरियालूर	2
2	चेंगलपट्टूर	11
3	चेन्नई	70
4	कोयंबटूर	46
5	कुड्डालूर	20
6	धर्मपुरी	8
7	इरोड	10
8	कल्लाकुरिची	1
9	कांचीपुरम	10
10	कन्याकुमारी	36
11	करूर	6
12	कृष्णागिरी	3
13	मदुरै	28



क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.
14	मायिलादुथुराई	31
15	नागापट्टिनम	2
16	पेरंबलूर	3
17	रानीपेट	29
18	सेलम	28
19	सिवगंगा	18
20	तेनकासी	46
21	तंजावुर	2
22	थेनी	4
23	तिरूवल्लूर	9
24	तिरूवरूर	2
25	थूथूकुडी	12
26	तिरूचिरापल्ली	87
27	तिरूनेलवेल्ली	13
28	तिरूपाथुर	31
29	तिरूप्पुर	9
30	तिरूवन्नमलाई	7
31	वेल्लूर	7
32	विरुधुनगर	15
<b>तेलंगाना</b>		<b>25</b>
1	आदिलाबाद	2
2	हनुमाकोंडा	3
3	हैदराबाद	10
4	मेडचल मलकाजगिरी	4
5	राजन्ना सिरसिला	4
6	रंगारेड्डी	2
<b>त्रिपुरा</b>		<b>6</b>
1	खोवाई	1
2	दक्षिण त्रिपुरा	1
3	उनाकोटी	1
4	पश्चिम त्रिपुरा	3
<b>उत्तर प्रदेश</b>		<b>75</b>
1	आगरा	6
2	अलीगढ़	2
3	अयोध्या	1
4	आजमगढ़	3
5	बागपत	2
6	बलिया	2
7	बरेली	1
8	बस्ती	1
9	फतेहपुर	2

क्रम सं.	राज्य/जिला	नियुक्त कानूनी संरक्षकों की सं.
10	गाजियाबाद	7
11	गाजीपुर	2
12	झांसी	1
13	कानपुर नगर	8
14	लखनऊ	23
15	मेरठ	2
16	प्रयागराज	4
17	सहारनपुर	1
18	संभल	1
19	संत कबीर नगर	1
20	शामली	2
21	सुल्तानपुर	2
22	उन्नाव	1
<b>उत्तराखंड</b>		<b>46</b>
1	अल्मोड़ा	6
2	बागेश्वर	2
3	चमोली	1
4	देहरादून	22
5	हरिद्वार	5
6	नैनीताल	5
7	टिहरी गढ़वाल	1
8	ऊधम सिंह नगर	4
<b>पश्चिम बंगाल</b>		<b>220</b>
1	24 परगना उत्तर	45
2	24 परगना दक्षिण	6
3	अलीपुरद्वार	1
4	बांकुड़ा	1
5	हुगली	15
6	जलपाईगुड़ी	4
7	कालिमपोंग	1
8	कोलकाता	46
9	माल्दा	76
10	मेदिनीपुर पूर्व	7
11	मुर्शिदाबाद	2
12	नादिया	11
13	पूर्व बर्धमान	4
14	पुरुलिया	1
	(-)	
	(-)	
<b>कुल योग</b>		<b>5784</b>

## 15. राष्ट्रीय न्यास द्वारा वित्त पोषित योजना केन्द्रों की जानकारी

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
1	आन्ध्र प्रदेश	असीसी हेल्थ केयर सोसाइटी 335सी, लक्ष्मीपुरम मेन, मिल्क चिलिंग सेंटर, कृष्णा -521235, आंध्र प्रदेश	8547569941	delcyputhenpurayil@gmail.com	विकास
2		कसीनाधुनि दुर्गम्बा बुचैया ट्रस्ट, इलाकुरु वाया निदुमोलु कृष्णा आंध्र प्रदेश 521156	9441195424	kdbtrust_elakurru@yahoo.com	दिशा-सह-विकास
3		प्रभात सिंधुरी एजुकेशनल सोसायटी ग्राउंड फ्लोर 2-14-8/ए साईनगर एक्सटेंशन स्तंभलागारुवु गुंटूर 522006	9666589589	prabhatacindhuri@gmail.com	दिशा-सह-विकास
4		सिरिशा रिहैबिलिटेशन सेंटर नं 3/57, वीरांकिलॉक, पमिदिमुक्कल कृष्णा-521250 आंध्र प्रदेश	9441413161	srcpamidi@yahoo.com	दिशा-सह-विकास
5		श्रेया फाउंडेशन द्वार सं.4-84, एमआईजी 2-334, सुजाता नगर, पेंडुरथी मंडल, विशाखापत्तनम, पिन- 530051	9703328918	sreyafoundation@yahoo.co.in, ushanagesh2001@yahoo.com	दिशा-सह-विकास
6		श्री दक्षिण्य भाव समिति माधवी निलयम, स्वर्ण भारती नगर, जे.के.सी. कॉलेज रोड, नया आरटीओ कार्यालय, गुंटूर- 522006 आंध्र प्रदेश	7702977499	dakshinya1995@yahoo.com	समर्थ-सह-घरौदा
7		सनलाइट एजुकेशनल सोसायटी, मावुरु वारी थी, कलेक्टर बंगला रोड, श्रीकाकुलम	9441413161	vijbhs@gmail.com	विकास
8		ताडेपल्लीस सत्य साईं च्युथा सोसायटी 20-6-11एफ रोड नंबर 3 सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 18 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश 520003	9440421781	cheyutha36@gmail.com	दिशा-सह-विकास
9		वेलुगु 12/2/ए, अम्माचेरुवुमिट्टा, कोल्लाबैलु, कादिरी रोड, चित्तूर-517325, आंध्र प्रदेश	9440585285	velugu1mpl@yahoo.co.in	घरौदा
10	असम	देशबंधु क्लब बंगला घाट ग्रांट पार्ट-I, (कल्याणी अस्पताल के पास) कछार, असम पिन-788026	9101237195	deshabandhuclub@rediffmail.com	समर्थ



क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
11	असम	मृणालज्योति रिहैबिलिटेशन सेंटर 93, दुलियाजान, कुमुदनगर रोड, कुमुदनगर नामघर के पास, डिब्रूगढ़-786602, असम	8638599162	mrinaljyoti@yahoo.co.in	दिशा
12		प्रेरणा प्रतिभा शिशु विकास केंद्र 17, पी.ओ. सिन्नामारा, जिला-जोरहाट-785008, असम	9854044474	prerona123@rediffmail.com	दिशा
13		आरोग्य फाउंडेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन शांति नगर, तलखापुर, डुमरा रोड, महारानी स्थान मार्ग, सीतामढी, बिहार	9934691872	aarogyaaafoundation@gmail.com	दिशा-सह-विकास
14		आस्था चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसायटी वन विहार कॉलोनी, आशियाना नगर, पटना	9334106629	druma.shankarsinha@gmail.com	दिशा-सह-विकास
15		कोशी क्षेत्रीय बिकलांग बिधवा बृहद कल्याण समिति पता- पटुआहा, वार्ड नं.24, पोस्ट- पटुआहा, थाना-सहरसा, जिला-सहरसा, (बिहार) 852202	8298918971	koshibiklang1991@gmail.com	दिशा
16		शमा विकास समिति, पटेल नगर, गया रोड, इस्लामपुर, नालंदा-801303	9431664173	shamavikassamiti@gmail.com	विकास
17	चंडीगढ़	इंडियन नेशनल पोर्टेज एसोसिएशन कमरा संख्या 14-15, करुणा सदन, प्रथम तल, चंडीगढ़-160011, चंडीगढ़	9417372091	tehalkohli@gmail.com	दिशा
18	छत्तीसगढ़	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान, दिव्यांग विकास केंद्र पुराना आईटीआई भवन ग्राम सिरी पोस्ट सिरी ब्लॉक कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़	8319353001	shanti.maitri.gvs@gmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा
19		उन्नायक सेवा समिति हांडी चौक, अनाथालय कॉलोनी रायगढ़	7999756751	ussrgh@gmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा
20	दिल्ली	एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड बी-11, वसंत कुंज, बी-एक्स मेन गेट के सामने, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली-110070, दिल्ली	9811746236	aarohdelhi@gmail.com	विकास
21		चेसायर होम्स, इंडिया, दिल्ली यूनिट- ओखला रोड, होली फैमिली अस्पताल के सामने, दक्षिण दिल्ली-110025, दिल्ली	9625472661	home.dch@gmail.com	घरौंदा

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
22	दिल्ली	मनोविकास चैरिटेबल सोसायटी 60ए, राधे पुरी एक्सटेंशन-1, स्वामी दयानंद मार्ग, जगत पुरी क्रॉसिंग, पूर्वी दिल्ली-110051	9911107772	manovikasy2k@yahoo.com	दिशा-सह-विकास
23		सोसायटी फॉर द एंड ऑफ मेंटली एंडड डेवलपमेंटली हैंडीकैप्ड, समाधान, सेक्टर V, F ब्लॉक, दक्षिणपुरी, दुर्बलनाथ मंदिर, दक्षिण दिल्ली-110062, दिल्ली	7042664506	samadhan.dwarka@gmail.com	दिशा
24	गुजरात	अंकुर स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन प्लॉट नंबर 1945, वर्किंग विमेन हॉस्टल के पास, सरदार नगर सर्कल, भावनगर-364002, गुजरात	9725474774	ankurmrschool.bvn@gmail.com	विकास
25		आशीर्वाद विकलांग ट्रस्ट 4, पुलिस स्टेशन के पीछे, राष्ट्रीय राजमार्ग, सायला, सुरेन्द्र नगर, गुजरात-363430	9978276883	atfd.sayla@yahoo.in	दिशा-सह-विकास
26		जीवनदीप हेल्थ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कोडिनार 24-25, गोहिल नी खान (ओजी क्षेत्र), जीवनदीप, चोरवाड़ी मंदिर के पास, बाईपास रोड, कोडिनार, गिर सोमनाथ-362725, गुजरात	9898320881	jeevandeepkodinar@gmail.com	दिशा-सह-विकास
27		संप्रत एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-जूनागढ़ 410, डूंगरपुर, बिलखरोड, नंदकिशोर नरसरी के पास, जूनागढ़-362263, गुजरात	9913236691	samprat.jnd@gmail.com	समर्थ
28		श्रीमती परसनबेन नारानदास रामजी शाह (तलाजावाला) सोसायटी फार रिलीफ रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्पेबल्ड नटराज अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण कॉलेज परिसर, सरदार पटेल स्कूल के पास, कलियाबिद, भावनगर-364002, गुजरात	9426468963	pnr society.cpschool@gmail.com	दिशा-सह-विकास
29	हरियाणा	आदर्श पैरा मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तम नगर, लोहारू रोड, चारा मंडी के पास, भिवानी-127021, हरियाणा	9729080045	adarshmitc@gmail.com	विकास
30		नव प्रेरणा श्री गणेशी लाल गोयल धर्मशाला, राधा स्वामी कॉलोनी, सेक्टर-3, जिमखाना क्लब के पास, रेवाड़ी-123404, हरियाणा	9812160556	navprerna3441@yahoo.com	विकास

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
31	हरियाणा	तपन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, प्रज्ञा दिव्यांगजन शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जी.टी. रोड, पुलिस चौकी के पास, नीलोखेड़ी, करनाल- 132117, हरियाणा	9416191483	sujatavspk@yahoo.com	दिशा
32	हिमाचल प्रदेश	गणपति एजुकेशनल सोसाइटी, सिविल अस्पताल कुनिहार के पास (पेट्रोल पंप के पास) तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।	9418079043	sharma.roshan@ yahoo.co.in	दिशा-सह- विकास
33		साकार सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ल्ड पर्सन्स ग्राम- दोहवान, सुंदर नगर, मंडी-175002, हिमाचल प्रदेश	9816018605	sakarociety@yahoo.in	दिशा-सह- विकास
34	जम्मू और कश्मीर	छोटे तारे फाउंडेशन 2, अलफलाह लेन, सेक्टर 3 अलफलाह स्कूल के पास, श्रीनगर-190018, जम्मू और कश्मीर	7006998576	ctf.pres@gmail.com	विकास
35		होप डिसेबिलिटी सेंटर, महिला उद्यमियों के लिए शी होप सोसाइटी का एक उपक्रम 001, वेड्ल गंदरबल, जेमी मस्जिद के पास, गंदरबल-191201, जम्मू और कश्मीर	9149476760	nbhat@ hopecentrekashmir.org	विकास
36		मुस्कान फाउंडेशन विजयपुर, कैनाल रोड 9, विजयपुर, सांबा-184120, जम्मू और कश्मीर	9419150607	go4muskanfoundation 09419@gmail.com	विकास
37	स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट रंधावा कॉलोनी, विजयपुर जिला सांबा जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश	9419165110	educationaltrust2007 @gmail.com	घरौंदा	
38	वोलंटरी मेडिकेयर सोसायटी बेमिना बाय-पास, श्रीनगर, स्किम्स मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर-190018, जम्मू और कश्मीर	7006532698	vmsjk1@gmail.com	विकास	
39	कर्नाटक	आशादीपा अंगविकलारा सर्व अभिवृद्धि सेवा संस्थे, वार्ड नंबर 3 कोप्पाराड पेठ बानगर समाज बिल्डिंग इलकल, इलकल तालुक बागलकोट जिला 587125	9986509910	ashadeepa.orgilkal@ gmail.com	दिशा

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
40	कर्नाटक	कर्नाटक चैरिटेबल एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड सिटीजन्स, 12, तीसरा क्रॉस, आठवां मेन, ब्यासंद्रा लेआउट, जयनगर पहला ब्लॉक पूर्व, बैंगलोर, ब्यासंद्रा मेन रोड, निमहंस के पास, बैंगलुरु शहरी-560011, कर्नाटक	9945699410	kpamrc@gmail.com	घरौंदा
41		प्रज्ञा ट्रस्ट समुदाय भवन, नेशनल कॉलेज के सामने, इदागुर रोड, वीरंदा हल्ली, गौरीबिदानूर सिटी।	9972009412	nagaraj.n.gbd@gmail.com	दिशा
42		समूहा सामर्थ्य, कुशतगी रोड, भाग्यनगर क्रॉस, कोप्पल टाउन, तालुक और जिला-कोप्पल, पिन -583231	9448458045	ns@samuha.org	दिशा
43		सेवा इन एक्शन एसोसिएशन 36, पहला मुख्य मार्ग, एस.टी. बेड लेआउट, कोरमंगला बैंगलुरु अर्बन-560034, कर्नाटक	9902577945	sevainaction@gmail.com	विकास
44	केरल	मनोविकास स्कूल फॉर मेंटली चैलेन्ज्ड, 227, पल्लीसेरिकुल पोस्ट, सस्थामकोटा कोल्लम- 690521, केरल	9447160802	manovikas@gmail.com	दिशा
45	मध्य प्रदेश	आधार फाउंडेशन 48 पंचवटी वार्ड, 28 ढाबा के सामने, परासिया रोड, पोआमा, छिंदवाड़ा-480001 मध्य प्रदेश	7721023959	aadhar.foundation@rediffmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा
46		आधार ज्ञान धात्री समिति ई-4/223, अरेरा कॉलोनी, 10 नंबर मार्केट के पास भोपाल-462016, मध्य प्रदेश	9425374293	aadharcentre@gmail.com	दिशा
47		आदर्श विकलांग सेवा संघ ग्राम सिद्धिकला वैधान जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश-486886	9424348178	viklangseva@gmail.com	विकास
48		अंजनी जन कल्याण संस्थान समिति, बीना कटरा मंदिर के पास प्रताप वार्ड बीना	9981330835	anjanijankalyan@gmail.com	समर्थ
49		बारगढ़ महावीर युवक मंडल समिति, कारगिल चौराहा के पास, अरिहंत कॉलोनी शिव मंदिर के सामने, आलोटे, जिला रतलाम मध्य प्रदेश 457114	9753768150	bmyms@rediffmail.com	विकास



क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
50	मध्य प्रदेश	ब्रम्हर्षि वशिष्ठ शिक्षण प्रशिक्षण एवं सेवा समिति, रीवा नगर कॉलोनी, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड, नरसिंहपुर	9424645321	anandsobmp@gmail.com	विकास
51		दिग्दर्शिका इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन रिसर्च, शिक्षक कांग्रेस कॉलोनी बागमुगालिया भोपाल	8982703121	dirr89@rediffmail.com	दिशा-सह-विकास
52		जयनारायण सर्वोदय विद्यालय समिति, 24, ग्राम करजगांव, डाकघर रोधा, बैतूल-460001 मध्य प्रदेश	9425610242	jaynarayan_btl@rediffmail.com	घरौंदा
53		जन जागरण एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसायटी, सागर, आरटीओ रोड पथरिया जाट, सागर	9630309033	mjkps2@gmail.com	दिशा
54		मां सवासन महिला मंडल, यशोदा नगर आज़ाद वार्ड, बीटीआई स्कूल के पास, गाडरवारा, नरसिंहपुर	7067246409	maa.betul@rediffmail.com	घरौंदा
55		माधुरी आयाम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, 1414, बेरखेड़ी बाज्याफट, गौशाला पुराने केशर प्लांट के पास भोपाल-462044, मध्य प्रदेश	9424476498	madhuriaayaam@gmail.com	विकास
56		मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति, सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन	9425332740	mpvss10@gmail.com	दिशा-सह-विकास
57		महिला बाल विकास समिति, शिवनगर, जमना रोड भिंड (म.प्र.)	7987471136	mbvs_45@rediffmail.com	दिशा-सह-विकास
58		मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, दहदा धाम, कटनी	6260532499	recordrk6@gmail.com	दिशा-सह-विकास
59		नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसायटी, 06, सूरज स्नेह भवन, श्रीराम कॉलोनी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश	9425195626	snehnagda@gmail.com	दिशा-सह-विकास
60		नवोदित ग्राम उत्थान महिला एवं बाल विकास समिति, नवोदित समर्थ सह घरौंदा सेंटर इटारसी	8889006751	ngumbv@rediffmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
61	मध्य प्रदेश	निशक्त जन आधार वेलफेयर सोसायटी 1-ए, संगम नगर, स्कीम नंबर 51 पुलिस चौकी के पास इंदौर-452006, मध्य प्रदेश	9977505183	njawsociety@gmail.com	घरौंदा
62		राज रानी सेवा एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी 34, ग्राम काशीहाई पोस्ट. बड़ीहरदी वार्ड नंबर 2 पोस्ट-बैकुंठपुर, शाखा कार्यालय-छत्रपति नगर, तहसील-सिरमौर और तेह-हुजूर, रीवा-486441, मध्य प्रदेश	8770156675	rsespsandsocialwelfare@gmail.com	दिशा-सह-विकास
63		राजीव कुमार समाज कल्याण ग्राम विकास शोध संस्थान, 2983, न्यू कंचनपुर, आधार तल जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश	9329325008	rajurecord@gmail.com	दिशा-सह-विकास
64		सर्व श्री माँ नर्मदा शिक्षा एवं जन कल्याण सेवा समिति, 62, बाजार वार्ड देवरी, बेसिक स्कूल के पास, सागर-470226, मध्य प्रदेश	9893403841	ssmnsajkss786@gmail.com	विकास
65		श्री श्री उत्कर्ष समिति, 4-बी, सुदामा नगर, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर	9826414347	ssusindore@gmail.com	समर्थ
66		स्नेह मंद बुद्धि एवं मूक बधिर विद्यालय, स्नेह शिक्षण एवं मानव सेवा संस्थान की इकाई, मकान नंबर 885, गली नंबर 2, कीर्ति क्रांति प्रेस के पीछे, रीवा-486001, मध्य प्रदेश	9755412191	snehshikshan@gmail.com	दिशा
67		उम्मीद शिक्षण समिति, 44, एमआईजी, वार्ड नं.12, विदिशा, मध्य प्रदेश-466001	9098719899	ummeedshikshan samity@gmail.com	दिशा
68	महाराष्ट्र	संवेदना सेरेब्रल पाल्सी विकास केंद्र, आरएसएस जनकल्याण समिति द्वारा संचालित, नादिहत्तार्गा, निलंगा जिला. लातूर	9421351551	sanvedana.cpvkl@gmail.com	घरौंदा



क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
69	महाराष्ट्र	श्रीमती पी.सी. अलवानी स्कूल फॉर एम.आर. चिल्ड्रन, रिवका साहिल अक्षर इंस्टीट्यूट की एक इकाई 401, गणपति अली, टेलीफोन ऑफिस के पास, सतारा-412803-महाराष्ट्र	7219800714	rsakshar09@gmail.com	विकास
70	मणिपुर	हैंडीकैप्ड डेवलनमेंट फाउंडेशन एचडीएफ एक्टिविटीज कार्यालय लामडेंग मायाई, लीकाई एमा लैखुरेम्बी के पास	8132097286	hdfoundationmanipur@gmail.com	दिशा
71		मालसॉम इनीशिएटिव, सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव पियर्सनमुन, मालसॉम एबिलिटी रिसोर्स सेंटर द्वारा संचालित चूडाचांदपुर-795006, मणिपुर	7085469789	pauzagin@communityinitiative.in	दिशा
72	मेघालय	बेथनी सोसायटी, लेडी वेरोनिका लेन लैतुमखरा, बंसरा आई केयर के सामने, पूर्वी खासी हिल्स-793003, मेघालय	7085225726	bethanyngo1981@gmail.com	दिशा
73	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन रूरल एरिया, शास्त्री नगर, डाकघर/जिला-बलांगीर, ओडिशा	9437916866	ashraorissa2007@rediffmail.com, ashraodisha123@gmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा
74		भारत ज्योति मेंधाखाई, उदाला, मयूरभंज	9937191097	bj_orissa@yahoo.com	विकास
75		सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज रिसर्च, सीआरएसआर प्रशांति भवन, दहानिगड़िया, डाकघर: चरम्पा, पुरानी डालडा फैक्ट्री के पीछे, बालेश्वर-756101, ओडिशा	9438789808	crsrodisha@gmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा
76		डॉ. ब्रज विहारी मोहंती मेमोरियल मेंटली रिटार्डेड बेनीफिट ट्रस्ट प्लॉट संख्या: 252 (पश्चिम) / 958, खाता संख्या: 164 / 230, गाँव: दोराडा, डाकघर: दोराडा, थाना: अथागढ़, जिला: कटक, ओडिशा, पिन: 754295	8457066551	jagrutibbsr@gmail.com	घरौंदा
77		नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान बेनागांव, दयाविहार, कनास, दयापुरी नदी के पास-752017ओडिशा	8917336200	nspodisha@gmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
78	ओडिशा	रिसर्च एकेडेमी फॉर रूरल इनरिचमेंट, पोस्ट-सोनपुर, सोनपुर-767017, ओडिशा	9937618884	raresonepur@hotmail.com	दिशा-सह-विकास
79		रूरल ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशल इलेवेशन, रघुनाथपुर, दरगाधेई गोलेई के पास, मयूरभंज-757107, ओडिशा	9437218266	roseorg2009@gmail.com	समर्थ
80		सद्भावना, खमनगोड़ा साही, पो-रघुनाथपुर	8917313432	sadbhabanakeonjhar@gmail.com	घरौंदा
81		श्री श्री जाडीमहल यूथ क्लब 250, कांटाबानिया, बालेश्वर-756049, ओडिशा	8984739374	ssjyc@rediffmail.com	घरौंदा
82	पुद्दुचेरी	इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, 7, राजगणपति नगर, काकायन्थोप, वीरनपतिनम वाया, अरियानकुप्पम, अरिकानमेडु ऐतिहासिक स्थान पांडिचेरी- 605007, पुद्दुचेरी	9994507100	irdcsnacpdy@gmail.com	घरौंदा
83	पंजाब	कंफेडरेशन फॉर चैलेन्ज्ड* *, गाँव फतेहपुर अराई, जिला - फतेहगढ़ साहिब	9876120864	cfcin@ymail.com	विकास
84	राजस्थान	दीप विद्या मंदिर समिति, सबका घर समर्थ आश्रम रेलवे स्टेशन के पीछे, गोलछा फैक्ट्री रोड, दौसा	9414035821	dvmsngo@yahoo.co.in	समर्थ
85	तमिलनाडु	आर्वी स्पेशल स्कूल- एसोसिएशन फॉर विलेज इम्पेयरमेंट की एक इकाई, सदयाल बाईपास, सुब्बन स्ट्रीट, थेनी	9843160475	arvitrust@gmail.com	दिशा
86		आशा स्कूल फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन- आशा ट्रस्ट की एक इकाई, सदयाल बायपास, नंबर 1, थिरु, वी.आई. स्ट्रीट, मा. पो. सी. नगर, तिरुवल्लुर - 602001	9840541128	ashamrschool@gmail.com	विकास
87		ग्लोबल स्पेशल स्कूल फॉर द मेंटली चैलेन्ज्ड- ग्लोबल ट्रस्ट फॉर द डिफरेंटली एबल की इकाई, नंबर 27, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, सुब्बुरायालु नगर, थिरुप्पापुलियुर, कुड्डालोर-607002	9786334741	globaltrust2014gk@yahoo.com	समर्थ

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
88	तमिलनाडु	सृष्टि स्पेशल स्कूल, सृष्टि फाउंडेशन की एक इकाई, कोनमंगलम गांव, स्कूल के पास विलुप्पुरम-604304, तमिलनाडु	9047787887	sristivillage@gmail.com	विकास
89		सेंट जूड्स स्कूल फॉर मेंटली चैलेन्ज्ड, इकोवेल ऑर्थोपेडिक सेंटर की एक इकाई 5.5/44.1, आरसी चर्च के पास, एमजीआर कॉलोनी, वाया, थरमंगलम, सेलम-636502, तमिलनाडु	9443251703	eoclarence@yahoo.co.in	समर्थ-सह-घरौंदा
90		विद्या विकासिनी अपारच्युनिटी स्कूल- वविद्या विकासिनी सोसायटी की एक इकाई नंबर 1, IV स्ट्रीट, वीएसके नगर, वदामदुरई कोयंबटूर	9865996585	vvadmn@yahoo.co.in	समर्थ
91	तेलंगाना	मनोचैतन्य स्पेशल स्कूल एंड वोकेशनल सेंटर –पीएएमईएनसीएपीबी द्वारा संचालित, 28, सेक्टर-1, गोदावरीखानी, सिंगरेनी कम्युनिटी के सामने हॉलपेडापल्ली- 505209, तेलंगाना	8247519867	krishna.gdk@gmail.com	विकास
92		शांति निकेतन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटली हैंडीकैड प्लॉट नंबर 22, भवानी एन्क्लेव, साहेब नगर कलां रंगारेड्डी- 500070, तेलंगाना	9346603064	shanthiniketan.mr@gmail.com	विकास
93		स्वयंकृषि, सर्वे नंबर 687/688, जवाहर नगर, चेन्नापुर, बालाजी नगर, सिकंदराबाद-500087	9704245454	swayamkrushimk@gmail.com	घरौंदा
94	उत्तर प्रदेश	भागीरथ सेवा संस्थान – 7/11, राज नगर, गाजियाबाद उ.प्र	9811764329	bssksiat@yahoo.com	विकास
95		देवा इंटरनेशनल सोसायटी फॉर चाइल्ड केयर, बी 21/100 बिंद भवन, कमच्छा चुंगी, शीश महल कॉलोनी के पास, कमच्छा वाराणसी-221010, उत्तर प्रदेश	9415303557	tulsi_discc_cv@hotmail.com	दिशा-सह-विकास
96		गौतम बौद्ध शिक्षण संस्थान 205, मुद्दाडीह (लोरिक नगर), पोस्ट परसा तिवारी, गोंडा-271313 उत्तर प्रदेश	9792956090	gbss_bbn@rediffmail.com	दिशा-सह-विकास

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
97	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण प्रगति संस्थान ग्राम एवं पोस्ट हरगांव ब्लॉक जामोन तहसील गौरीगंज जिला अमेठी उ.प्र. 227801	9473555982	pragatigps@gmail.com	घरौंदा
98		ग्रामोदय विकास संस्थान 43,फतेहगंज पोस्ट सराय रावत हैदर गढ़ बाराबंकी रोड, बाराबंकी -225124, उत्तर प्रदेश	9984390390	gramodayaup@gmail.com	दिशा-सह-विकास
99		आई फाउंडेशन ए/33, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ 226025	9889121939	bobby.m.ramani@gmail.com	दिशा-सह-विकास
100		इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट आफ रिहैबिलिटेशन फॉर द डिस्पेबल्ड (विकलांग समेकित पुनर्वास संस्थान), सेवा ग्राम, पावर हाउस सबस्टेशन, शमशाबाद रोड, डोगनर आगरा	9058596091	iirdagra@yahoo.com	समर्थ
101		जन चेतना संस्थान, 201/1ई प्रयाग पुरम, नैनी, प्रयागराज	8115093029	jcsinstitute@gmail.com	विकास
102		कैलाशी महिला विकास समिति, ग्राम- ध्यानीपुर, पोस्ट- लोहारा, इंडिया मार्का हैंडपंप के पास आजमगढ़-223223, उत्तर प्रदेश	9452418699	kailashi2013@gmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा
103		लोक जागृति संस्थान ग्राम-पिछवाड़ा, पो-सया, जिला-अम्बेडकर नगर	9792945817	ljsambekernager@gmail.com	विकास
104		मानव उत्थान समिति 04, बस्ती, खिरिया मऊ-275103, उत्तर प्रदेश	9452134628	manavutthan_samiti@yahoo.co.in	विकास
105		राजेश्वरी सेवा संस्थान गाज़ीपुर रोड कुइली पोस्ट ऐरवा कटरा जिला औरैया उ.प्र.	9452577101	rssup.india@gmail.com	घरौंदा
106		रूरल इनफार्मेटिव सोशल हारमनी एकेडेमी, ग्राम पोस्ट - भैन (पडोकिया), प्राथमिक विद्यालय, सुल्तानपुर-228159, उत्तर प्रदेश	9936361463	1998risha@gmail.com	घरौंदा
107		संचित विकास संस्थान, ग्राम व पोस्ट मरवटिया बाबू, बस्ती उ.प्र	9559285187	npsvsbasti@gmail.com	समर्थ-सह-घरौंदा

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
108	उत्तर प्रदेश	सरस्वती ज्ञान मंदिर शिक्षा समिति, हथौरा बुजुर्गा, पो.रोजा, शाहजहाँपुर -242306, उत्तर प्रदेश	8009562100	sgmashok@gmail.com	विकास
109		श्री राम आसरे सिंह ग्राम विकास शिक्षा समिति संचालित मां गंगादेवी दिव्यांग सेवा संस्थान, 1412, विजय नगर खागा, हैडपाइप, फ़तेहपुर-212655, उत्तर प्रदेश	9889696851	mgdssanthan@gmail.com	विकास
110		शुभाशीष शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान- 27, औद्योगिक क्षेत्र, साइट नंबर-2,, अमावां रोड रायबरेली-229001, उत्तर प्रदेश	9415190420	shubhasheeshsansthan@yahoo.com	विकास
111		स्वामी विवेकानन्द शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, केयर ऑफ सुनील मिश्रा, टैक्सी स्टैंड के पास बहवोलिया, मेहदावल, संत कबीर नगर, उ.प्र.	9140737425	kksvssks@rediffmail.com	घरौंदा
112	उत्तराखंड	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहिनी रोड इंड, ट्रांस रिस्पना नदी, देहरादून, 248001. उत्तराखंड	8077215387	raphaelcentre@gmail.com	घरौंदा
113	पश्चिम बंगाल	आशा भवन केंद्र, ग्राम-कथिला, पोस्ट - बनिताबला, पी.एस. उलूबेरिया हावड़ा-711316, पश्चिम बंगाल	9073302212	abcindia.sukeshi@gmail.com	दिशा
114		दंतन मानव कल्याण केंद्र कृष्णापुर, पी ओ-दांतन, बीपीएचसी के पास मेदिनीपुर पश्चिम- 721426, पश्चिम बंगाल	9064635665	dmkk22@gmail.com	दिशा-सह-विकास
115		झांझ उन्नयन समिति, चोआ तमालतला, पी.ओ.- चोआ, पी.एस.- हरिहरपारा, जिला- मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल- 742166	9734800224	jhanjhaunnyansamity@gmail.com	दिशा-सह-विकास
116		कल्याणी लाइफ इंस्टीट्यूट बी-3 प्लेग्राउंड के सामने, 3 नंबर बाजार के पास, कल्याणी, पश्चिम बंगाल 741235	9830017416	kalyanilifeinstitute@gmail.com	दिशा-सह-विकास
117		केंदुआडिही विकास सोसायटी, 803, पी.ओ. केंदुआडिही, गोविंद नगर बस स्टैंड के पीछे बांकुड़ा-722102, पश्चिम बंगाल	9434526908	bikash12@rediffmail.com	दिशा

क्रम सं.	राज्य	संगठन का नाम और योजना केन्द्रों का पता	मोबाइल नम्बर	ई-मेल आईड	योजना का नाम
118	पश्चिम बंगाल	मालदा कृष्णापल्ली जनजागोरण सोसायटी बाघजतिन पार्क, ओल्ड मालदा रोड, पो. मंगलबाड़ी, जिला - मालदा	9064702034	punarbasanspl.edu@gmail.com	दिशा-सह- विकास
119		प्रतिबन्धि सहायक समिति एच-69, पी.ओ. पंसकुरा, पीडब्ल्यूडी ग्राउंड के पास मेदिनीपुर पूर्व-721139, पश्चिम बंगाल	7001666980	psspanskura@gmail.com	दिशा-सह- विकास
120		रामपुरहाट स्पैस्टिक्स हैंडीकैड सोसायटी, रामपुरहाट चंदमेरी, उत्तरपल्ली, वार्ड नंबर-13, पी.ओ. और पी.एस.-रामपुरहाट, बीरभूम- 731224, पश्चिम बंगाल	9002896583	rshs.rph@gmail.com	घरौंदा
121		शांतिनिकेतन रतनपल्ली विवेकानन्द आदिवासी कल्याण समिति, रतनपल्ली, डाकघर - शांतिनिकेतन, जिला-बीरभूम-731235, पश्चिम बंगाल	9476283039	ssevaks@yahoo.com	दिशा
122		उत्तरपाड़ा आश्रय - अभिभावक संगठन, 56, डीपीजेएम सारनी, पी.ओ. भद्रकाली, जिला हुगली-712232, पश्चिम बंगाल	9831182790	tarund61@gmail.com	विकास

समर्थ सशक्त

संगठित

वार्षिक

लेखा

2024-25

राष्ट्रीय न्यास

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

31 मार्च 2025 के अनुसार तुलन पत्र

(सभी आंकड़े रुपये में)

संचित निधि/पूँजी निधि और देनदारियाँ:	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संचित निधि	1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
पूँजी निधि/आरक्षित	1	453,732,070.00	400,159,978.00
आरक्षित और अधिशेष	2	0.00	0.00
निर्धारित/अक्षय निधि	3	2,822,935.00	2,822,935.00
सुरक्षित ऋण और उधारी	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण और उधारी	5	0.00	0.00
स्थगित ऋण देनदारियाँ	6	0.00	0.00
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	7	20,501,455.00	18,777,304.00
<b>कुल:</b>		<b>1,477,056,460.00</b>	<b>1,421,760,217.00</b>
<b>परिसंपत्ति :</b>			
अचल परिसंपत्तियाँ	8	4,064,671.00	3,971,049.00
निवेश - संचित निधि से	9	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
निवेश-अन्य	10	200,000,100.00	200,000,100.00
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	272,991,689.00	217,789,068.00
विविध व्यय		0.00	0.00
( किसी सीमा तक बढ़े खाते में या समायोजित नहीं की गई)			
<b>कुल:</b>		<b>1,477,056,460.00</b>	<b>1,421,760,217.00</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयतायें और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सीरब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

(सभी आंकड़े रूपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	0.00	0.00
अनुदान/सब्सिडी/प्रायोजन	13	310,000,000.00	351,000,000.00
शुल्क/सदस्यता	14	13,661,790.00	13,992,738.00
निवेश से आय (आरबीआई बॉन्ड में)	15	0.00	0.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00	0.00
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	17	95,158,297.00	87,034,694.00
अन्य आय	18	16,922,634.00	14,758,373.00
तैयार वस्तुओं के भंडार में कमी/वृद्धि	19	0.00	0.00
<b>कुल (क)</b>		<b>435742721.00</b>	<b>466,785,805.00</b>
<b>व्यय</b>			
स्थापना व्यय	-		
	20	27,732,699.00	26,995,970.00
प्रशासनिक व्यय आदि .	21	17,559,976.00	20,144,185.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय.	22	335,844,566.00	358,864,525.00
ब्याज आदि	23	0.00	0.00
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुसार वर्ष के अंत में शुद्ध योग)	8	1,033,388.00	1,063,913.00
<b>कुल (ख)</b>		<b>382,170,629.00</b>	<b>407,068,593.00</b>
<b>बकाया आय की व्यय पर आधिक्य (क-ख)</b>		<b>53,572,092.00</b>	<b>59,717,212.00</b>
विशेष रिजर्व में अंतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		0.00	0.00
सामान्य रिजर्व/पूजी रिजर्व में अंतरण			
<b>पूजीगत निधि/रिजर्व पर बकाया परिसंपत्ति लागत</b>		<b>53,572,092.00</b>	<b>59,717,212.00</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयतायें और खातों पर टिप्पणियां	25		

## राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

### 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा प्रतियां और भुगतान

(सभी आंकड़े रूपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष (रूपय)	पिछला वर्ष (रूपय)	भुगतान	चालू वर्ष (रूपय)	पिछला वर्ष (रूपय)
I. प्रारंभिक जमा राशि			I. व्यय क) अधिष्ठान व्यय : अनुसूची 20 के अनुसार : रु. 2,77,32,699/- कम करें : डीसीआरजी/अवकाश/नकदीकरण के लिये प्रावधान रु. 17,96,995/- (11,22,468+6,74,522) जोड़े : डीसीआरजी/अवकाश नकदीकरण भुगतान रु. 0/- (0+0)	25,935,704.00	26,400,139.00
(1) नकद राशि	0.00	0.00	ख प्रशासनिक व्यय (सूची 21 के अनुसार) रु. 1,75,59,976/- कम करें : किराया भुगतान रु. 7,80,675/- जोड़े : पिछले वर्ष का किराया भुगतान रु. 7,80,675/-	17,559,976.00	20,221,510.00
(2) बैंक में जमा			ग) देय धनराशि (पिछले वर्ष की योजनाओं से संबंधित बकाया)	0.00	0.00
i) चालू खाते में	0.00	0.00	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिये निधियों के बदले में किये गये भुगतान		
ii) बचत खाते में	200,769,524.00	146,790,104.00	(क) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये भुगतान (अनुसूची 22 के अनुसार)	335,844,566.00	358,864,525.00
iii) एफसीआरए खाता			III. जमा और निवेश		
II. प्राप्त अनुदान			(क) आरबीआई बॉण्ड में निवेश	0.00	0.00
राज्य सरकार से	0.00	0.00	(ख) अन्य निवेश-बैंक सावधि जमा	700,000,000.00	500,000,100.00
III. निवेश पर आय			IV. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय और जारी कार्य पूंजी		



क) आरबीआई बॉर्ड पर ब्याज (अनुसूची 1.5 के अनुसार):	0.00	0.00	0.00	(क) अचल संपत्तियों की खरीद	1,127,010.00	1,478,577.00
ख) अन्य निवेश : बैंकों में सावधि जमा: अर्जित ब्याज (अनुसूची 17) - रु. 8,86,53,006/- 31.03.25 को अर्जित ब्याज से घटाये रु. 1,49,09,022/- को पिछले वर्ष प्राप्त अर्जित ब्याज में जोड़े रु. 1,52,10,835 /-	88,954,819.00	72,496,684.00	72,496,684.00	V. अतिरिक्त राशि / ऋण की वापसी		
IV. प्राप्त ब्याज				क) भारत सरकार को	0.00	0.00
क) बैंक में जमा धनराशि पर (बचत बैंक)	6,505,291.00	4,588,092.00	4,588,092.00	ख) राज्य सरकार को	0.00	0.00
V. अन्य प्राप्तियां/आय (निर्दिष्ट करें)				VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
क) निरामया से प्राप्तियां: i) नामांकन/नवीनीकरण	13,268,010.00	13,839,738.00	13,839,738.00	अनुसूची 23 के अनुसार	0.00	0.00
ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान सहायता : प्राप्त (बजटीय सहयोग)	310,000,000.00	351,000,000.00	351,000,000.00	VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
ग) दान	16,893,606.00	14,756,273.00	14,756,273.00	1 कार्यालयों को प्रेषित :		
घ) एफसीआरए वीएसओ (ब्याज)	0.00	0.00	0.00	क) जीवन बीमा निगम	17,280.00	92,740.00
ङ) पंजीकरण शुल्क	152,000.00	153,000.00	153,000.00	ख) नई पेंशन योजना के लिये पीएफआरडीए	3,152,502.00	2,679,657.00
च) आरटीआई शुल्क	310.00	0.00	0.00	ग) एजी ओडिशा	0.00	0.00
छ) अनुयोगी वस्तुओं की बिक्री	8,355.00	204,506.00	204,506.00	घ) संपदा निदेशालय	710,230.00	625,653.00
ज) विविध प्राप्तियां/आय	10,000.00	2,100.00	2,100.00	ड) सीजीएचएस	13,000.00	12,000.00
VI. उधारी राशि	0.00	0.00	0.00	च) वेतन और लेखाधिकारी, वित्त मंत्रालय (जेएस और सीईओ (प्रेषित धन))	495,440.00	254,940.00
VII. अन्य प्राप्तियां:						
क) लौटिका सरकार अक्षय निधि खाते की बकाया राशि को वापस लिया गया।	0.00	0.00	0.00			
ख) जमाराशि की परिपक्वता	700,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00			



राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची-1:31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 1 - संचित/पूंजी निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>संचित निधि</b>		
वर्ष के प्रारंभ में जमा धनराशि	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
जोड़े: संचित निधि में योगदान	0.00	0.00
जोड़े/(घटायें): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय/ (व्यय) का बैलेंस	0.00	0.00
वर्ष के अंत में जमा धनराशि	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
<b>पूंजी निधि/आरक्षित निधि</b>		
वर्ष के प्रारंभ में जमा धनराशि :	40,01,59,978.00	34,04,42,766.00
जोड़े: व्यय पर आय का आधिक्य	5,35,72,092.00	5,97,17,212.00
कटौती:-	0.00	0.00
<b>वर्ष के अंत में जमा धनराशि :</b>	<b>45,37,32,070.00</b>	<b>40,01,59,978.00</b>

## राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची-2: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

अनुसूची 2: आरक्षित और अधिशेष:	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	(सभी आंकड़े रुपये में)
<b>1. आरक्षित पूंजी</b>			
पिछले खाते के अनुसार			
वर्ष के दौरान बढोत्तरी			
कम: वर्ष के दौरान कटौती			
<b>2. पुनर्मुल्यांकन आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार			
वर्ष के दौरान बढोत्तरी			
कम: वर्ष के दौरान कटौती			
<b>3. विशेष रिजर्व</b>			
पिछले खाते के अनुसार			
वर्ष के दौरान बढोत्तरी			
कम: वर्ष के दौरान कटौती			
<b>4. सामान्य आरक्षित</b>			
पिछले खाते के अनुसार			
कम: पिछले वर्षों में खरीदी गई अचल संपत्तियों की लागत का समायोजन पूंजी निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।			
वर्ष के दौरान वृद्धि अर्थात वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता को रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया			
पूंजीगत निधि/रिजर्व में हस्तांतरित परिसंपत्तियों की लागत			
कम: वर्ष के दौरान कटौतियां			
<b>कुल</b>	शून्य	शून्य	शून्य

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची-3: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रुपये में)

अनुसूची 3: निर्धारित/अक्षय निधि:	निधिवार अलग अलग आंकड़े		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) एफसीआरए की प्रारंभिक जमा राशि -रु. 2,22,935/-; डा. लोतिका सरकार अक्षय निधि- रु. 26,00,000/-	28,22,935.00	28,22,935.00	28,22,935.00	28,22,935.00
ख) वर्ष के दौरान धनराशि में बढोत्तरी				
i) एफ.सी.आर.ए.वीएसओ (ब्याज)	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) डा. लोतिका सरकार अक्षय निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ख)	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय				
अंतरित/व्यय				
i) एफ.सी.आर.ए.	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) डा. लोतिका सरकार अक्षय निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) वर्ष के अंत में जमा धनराशि (क+ख+ग)				
i) एफ.सी.आर.ए.	2,22,935.00	2,22,935.00	2,22,935.00	2,22,935.00
ii) डा. लोतिका सरकार अक्षय निधि	26,00,000.00	26,00,000.00	26,00,000.00	26,00,000.00
योग (घ)	28,22,935.00	28,22,935.00	28,22,935.00	28,22,935.00

## राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची-4, 5, 6: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण और उधारी;	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00
5. अन्य संस्थायें और एजेंसियां	0.00	0.00
6. डिबेन्चर और बॉन्ड	0.00	0.00
7. अन्य (विनिर्दिष्ट)	0.00	0.00
<b>अनुसूची 5: सुरक्षित ऋण और उधारी;</b>		
1. केन्द्र सरकार	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00
5. अन्य संस्थायें और एजेंसियां	0.00	0.00
6. डिबेन्चर और बॉन्ड	0.00	0.00
7. सावधि जमा	0.00	0.00
8. अन्य (विनिर्दिष्ट)	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
नोट: एक वर्ष के अंदर देय राशि		
<b>अनुसूची 6: स्थगित ऋण देयताएं:</b>		
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य संपत्तियों के हाइपोथेकेशन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
नोट: एक वर्ष के अंदर देय राशि		

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सीरब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची-7: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 7: वर्तमान देयताएं और प्रावधान:	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योग		योग	योग
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां	0.00		0.00	
2. विविध लेनदार				
क) सुरक्षित जमा राशि ( फर्मों द्वारा रु. 1,85,000	1,85,000.00		1,95,000.00	
3. अंशदायी पेंशन योजना:	0.00		58,455.00	
4. देय किराया – कार्यालय भवन	7,80,675.00		7,80,675.00	
5. संपदा निदेशालय	0.00		-	
6. वेतन और लेखाधिकारी सीजीएचएस	0.00	9,65,675.00	-	10,34,130.00
<b>योग (क)</b>	<b>9,65,675.00</b>	<b>9,65,675.00</b>	<b>10,34,130.00</b>	<b>10,34,130.00</b>
ख. प्रावधान				
1. कराना के लिये	-		4,389.00	4,389.00
2. ग्रेजुटी के लिये प्रावधान	98,54,600.00		87,32,132.00	87,32,132.00
3. अवकाश नगदीकरण के लिये प्रावधान	95,33,397.00		88,58,870.00	88,58,870.00
4. अन्य (समय बाधित चेक के खाते पर देयता)	1,47,333.00		1,47,333.00	1,47,333.00
5. एल.आई.सी..	450.00		450.00	450.00
<b>योग (ख)</b>	<b>1,95,35,780.00</b>	<b>1,95,35,780.00</b>	<b>1,77,43,174.00</b>	<b>1,77,43,174.00</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>2,05,01,455.00</b>	<b>2,05,01,455.00</b>	<b>1,87,77,304.00</b>	<b>1,87,77,304.00</b>

## राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची-8: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 8 : अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास					नेट ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान निस्तारण	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष समाप्ति पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. प्लॉट मशीनरी और उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. फर्नीचर और फिक्स्चर	2,443,986.00	118680.00	-	2,562,666.00	244,399.00	231,827.00	0.00	476,226.00	2,086,440.00	2,199,587.00		
5. कार्यालय उपकरण	870,503.00	502697.00	-	1,373,200.00	130,575.00	186,394.00	0.00	316,969.00	1,056,231.00	739,928.00		
6. कंप्यूटर पेरीफेरल	1,716,724.00	505,633.00	-	2,222,357.00	686,690.00	614,267.00	0.00	1,300,957.00	921,400.00	1,030,034.00		
7. पुस्तकालय के लिये पुस्तकें	276,107.00	0.00	0.00	276,107.00	274,607.00	900.00	0.00	275,507.00	600.00	1,500.00		
8. प्रकाशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
9. अन्य अचल परिसंपत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
योग	53,07,320.00	11,27,010.00	-	64,34,330.00	13,36,271.00	10,33,388.00	0.00	23,69,659.00	40,64,671.00	39,71,049.00		

**राष्ट्रीय न्यास**

ऑटिज्म, सेरब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

**अनुसूची-9 और 10: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में**

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 9 – संचित निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. शेयर	0.00	0.00
4. डिबेन्चर्स और बॉन्ड	0.00	0.00
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00
6. अन्य (विनिर्दिष्ट): (i) राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा रु. 100,00,00,000/-	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
<b>योग</b>	<b>1,00,00,00,000.00</b>	<b>1,00,00,00,000.00</b>
<b>अनुसूची 10- निवेश –अन्य</b>		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में ( आरबीआई बॉन्ड)	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. शेयर	0.00	0.00
4. डिबेन्चर्स और बॉन्ड	0.00	0.00
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	0.00	0.00
6. अन्य (विनिर्दिष्ट): (i) राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि/प्लेक्सी जमा	20,00,00,100.00	20,00,00,000.00
<b>योग</b>	<b>20,00,00,100.00</b>	<b>20,00,00,000.00</b>

**राष्ट्रीय न्यास**

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

**अनुसूची-11: 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में**

अनुसूची 11 : वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>क- वर्तमान परिसंपत्तियां</b>			
<b>1. सूची:</b>			
क) भंडार और अतिरिक्त सामान	0.00	0.00	0.00
ख) खुली सहायक सामग्री	0.00	0.00	0.00
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड (प्रकाशन)	0.00	0.00	0.00
प्रारंभिक स्टॉक :	0.00	0.00	0.00
जोड़े: वर्ष के दौरान बढोत्तरी	0.00	0.00	0.00
कम करें: मुफ्त वितरण डब्ल्यू/ओ से आई एण्ड ई एकाउंट	0.00	0.00	0.00
कम करें : नगदी के बदले बिक्री	0.00	0.00	0.00
वर्ष के अंत में जमा राशि	0.00	0.00	0.00
<b>2. विविध जमा :</b>			
क) ऋण छह माह से अधिक के लिये	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00
<b>3. उपलब्ध शेष नगदी (चेक/ड्राफ्ट और रकम सहित)</b>			
<b>4. बैंक बैलेंस:</b>			
क) सूचीबद्ध बैंकों के साथ:			
- चालू खातों पर	0.00	0.00	0.00
- जमा खातों पर	0.00	0.00	0.00
- बचत खातों पर	25,62,92,146.00	25,62,92,146.00	20,07,69,524.00
ख) गैर सूचीबद्ध बैंकों के साथ:			
- चालू खातों पर	0.00	0.00	0.00
- जमा खातों पर	0.00	0.00	0.00

(सभी आंकड़े रूपयों में)

-	बचत खातों पर	0.00			0.00	0.00
5.	डाक घर- बचत खाता	0.00			0.00	0.00
	योग(क)	25,62,92,146.00		25,62,92,146.00	20,07,69,524.00	20,07,69,524.00
ख.	ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां					
1.	अग्रिम:					
	(क) आकास्मिक अग्रिम	77,975.00		77,975.00	77,975.00	77,975.00
2.	नकद या किसी अन्य रूप में प्राप्त होने वाली वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ:					
	(क) पूंजी खाते पर On Capital Account	0.00			0.00	
	(ख) अन्य पूर्व भुगतान	0.00			0.00	
	(i) * मेसर्स एनएचएफडीसी (बी के अंबाला के लिये) रु. 3,33,000/- * मेसर्स एनएसकेएफडी, दिल्ली (बी के अंबाला और कर्नाटक प्रदर्शिनियों के लिये) रु. 9,33,973/- * विज्ञान भवन, नई दिल्ली रु. 2,15,800/- * अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर रु. 15,000/-	14,97,773.00			14,82,773.00	
	(ii) डाक कार्यों के लिये : मेसर्स शांति इंटरनेशनल रु.. 22,242/- (बी के मैटीरियल) मेसर्स एमआरएस इंटरनेशनल रु 1,35,000/- (-वही-)	1,57,242.00			1,57,242.00	
	(iii) कर्मचारियों के लिये अग्रिम : कंप्यूटर अग्रिम रु. 44,000/- ; एच.बी.ए. - 11,399/- ; यात्रा अग्रिम रु.500/- ; प्लटीसी अग्रिम रु. 1,632/-	57,531.00			90,719.00	
(iv)	सुरक्षित जमा (किराया)	0.00	1712546.00		0.00	17,30,734.00
3.	उपार्जित आय					
	क) आरबीआई बॉन्ड में से निवेश पर				0.00	
	ख) अन्य निवेश	1,49,09,022.00			1,52,10,835.00	
	ग) भारतीय स्टेट बैंक - प्रोत्साहन राशि	0.00			0.00	
	घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सहायता अनुदान)	0.00	1,49,09,022.00		0.00	1,52,10,835.00
4.	प्राप्त करने योग्य दावे					
	योग(ख)	0.00			0.00	0.00
	योग (क+ख)	1,66,99,543.00		1,66,99,543.00		1,70,19,544.00
			27,29,91,689.00			21,77,89,068.00

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची- 12 और 13 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	0.00	0.00
ख) कच्चे माल की बिक्री	0.00	0.00
ग) स्क्रैप की बिक्री	0.00	0.00
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम और संसाधन प्रभार	0.00	0.00
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	0.00	0.00
ग) एजेंसी आयोग और ब्रोकरेज	0.00	0.00
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	0.00	0.00
ड) अन्य (विनिर्दिष्ट)	0.00	0.00
<b>योग</b>		
<b>अनुसूची 13 - अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सब्सिडी)</b>		
1. केन्द्र सरकार(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से बजटीय सहयोग)	31,00,00,000.00	35,00,00,000.00
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (कार्यशाला)		10,00,00,000.00
3. सरकारी एजेंसियां	0.00	0.00
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	0.00	0.00
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0.00	0.00
6. प्रायोजक	0.00	0.00
7. अन्य:	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>31,00,00,000.00</b>	<b>35,10,00,000.00</b>

**राष्ट्रीय न्यास**

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

**अनुसूची- 14 और 15 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में**

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची-14 शुल्क/सब्सक्रिप्शन से आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रवेश शुल्क	0.00		0.00	
2. वार्षिक शुल्क/सब्सक्रिप्शन	0.00		0.00	
3. गोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	0.00		0.00	
4. निरामय- स्वास्थ्य बीमा				
नामांकन/नवीनीकरण शुल्क	13268010.00		1,38,39,738.00	
अन्य वसूली-बोनस (लेखा परीक्षा अवलोकन)	241780.00	1,35,09,790.00	0.00	1,38,39,738.00
5. पंजीकरण शुल्क	1,52,000.00	1,52,000.00	1,53,000.00	1,53,000.00
<b>योग</b>	<b>1,36,61,790.00</b>	<b>1,36,61,790.00</b>	<b>1,39,92,738.00</b>	<b>1,39,92,738.00</b>
<b>अनुसूची -15 : निवेश से आय :</b>				
<b>निवेश पर आय</b>				
1. ब्याज				
क) आरबीआई बॉन्ड पर	0.00	0.00	0.00	0.00
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) मुचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**राष्ट्रीय न्यास**

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्याक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

**अनुसूची- 16 और 17 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में**  
(सभी आंकड़े रूपयों में)राष्ट्रीय न्यास

अनुसूची 16 -रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय	0.00	0.00
2) प्रकाशन से आय: प्रकाशन/पुस्तकों की बिक्री	0.00	0.00
3) अन्य(विनिर्दिष्ट): विविध कार्टिज आदि की बिक्री.	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज</b>		
1) सावधि जमा पर		
क) सूचीबद्ध बैंकों के साथ	8,86,53,006.00	8,24,46,602.00
ख) गैर सूचीबद्ध बैंकों के साथ	0.00	0.00
ग) संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00
बचत खातों पर	8,86,53,006.00	8,24,46,602.00
2) सूचीबद्ध बैंकों के साथ:		
क) सूचीबद्ध बैंकों के साथ:	65,05,291.00	45,88,092.00
ख) गैर सूचीबद्ध बैंकों के साथ	0.00	0.00
ग) संस्थाओं के साथ	0.00	0.00
घ) अन्य	0.00	0.00
ऋण पर	65,05,291.00	45,88,092.00
3) कर्मचारी	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	0.00	0.00
<b>योग</b>	<b>9,51,58,297.00</b>	<b>8,70,34,694.00</b>

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची- 18 और 19 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 18 –अन्य आय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ			
क) स्वामित्व परिसंपत्ति			0.00
ख) अनुदान से या निःशुल्क अर्जित परिसंपत्तियां			0.00
2. आरबीआई बॉन्ड में जमा राशि पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि	10,363.00		0.00
3. दान	1,68,93,606.00		1,47,56,273.00
4. विविध प्राप्तियां/आय	10,000.00		2,100.00
5. आरटीआई के तहत शुल्क	310.00		0.00
6. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री	8355.00	1,69,22,634.00	1,47,58,373.00
योग		1,69,22,634.00	1,47,58,373.00
अनुसूची 19 – तैयार माल के भंडारण में बढोत्तरी/कमी और कार्य में प्रगत			
क) समापन स्टॉक			
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00
- कार्य में प्रगति	0.00	0.00	0.00
ख) कमी: प्रारंभिक स्टॉक	0.00	0.00	0.00
- तैयार माल	0.00	0.00	0.00
- कार्य में प्रगति	0.00	0.00	0.00
शुद्ध बढोत्तरी / (कमी) (क-ख)		0.00	0.00

## राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची- 20 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 20 – अधिष्ठान व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी (वेतन-2,09,22,611/-+ अनुबंधित कर्मचारियों का वेतन: 13,78,468/-)	2,23,01,079.00	2,09,34,326.00
ख) भत्ते और बोनस (बोनस- 0/-+मानदेय 47,500/-)		47,500.00
ग) कर्मचारी कल्याण पर व्यय (एलटीसी)	1,88,996.00	1,19,386.00
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर व्यय – डीसीआरजी/अवकाश नकदीकरण रु.17,96,995 (+) नई पेंशन योजना रु. 18,04,861/-	36,01,856.00	46,47,593.00
ड) अन्य: अधिष्ठान संबंधी व्यय (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रु 12,70,1447/- + शिक्षण शुल्क 3,37,504/- + समाचारपत्र प्रतिपूर्ति- रु. 33,120/-)	16,40,768.00	12,47,165.00
<b>योग</b>	<b>2,77,32,699.00</b>	<b>2,69,95,970.00</b>

राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची- 21 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 21 - प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) बिजली	7,95,600.00	68,829.00
ख) जल प्रभार	1,60,173.00	77,793.00
ग) टेलीफोन प्रभार	1,65,694.00	3,08,843.00
घ) मरम्मत और रखरखाव	3,12,572.00	5,24,912.00
ड) किराया, दर और कर	93,68,100.00	1,24,95,885.00
च) चालू वाहन और रखरखाव	7,65,152.00	7,39,738.00
छ) डाक प्रभार	5,940.00	6,199.00
ज) मुद्रण एवं स्टेशनरी	2,05,394.00	5,48,374.00
झ) याता और परिवहन व्यय (8,27,696+25,539)	8,53,235.00	13,35,159.00
ट) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	6,92,830.00	-
ठ) आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक	2,44,260.00	26,691.00
ड) व्यावसायिक शुल्क	40,000.00	1,24,320.00
ढ) विज्ञापन और प्रचार	8,648.00	49,922.00
ण) अन्य विविध व्यय + बैंक प्रभार+वस्तु+समाचारपत्र आदि (3604575+419053+18750)	39,42,378.00	38,37,520.00
<b>योग</b>	<b>1,75,59,976.00</b>	<b>2,01,44,185.00</b>

**राष्ट्रीय न्यास**

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

छठी मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची- 22 और 23 : 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

(सभी आंकड़े रूपयों में)

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
<b>क) कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ</b>		
(i) दिशा और विकास (डे-केयर योजना)	10,88,79,400.00	11,67,21,500.00
(ii) समर्थ और घरौंदा (आवासीय इस्खभाल योजना)	8,88,54,500.00	9,47,41,000.00
(iii) निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना	13,22,36,358.00	13,86,72,550.00
(iv) बढ़ते कदम	3,52,830.00	85,000.00
<b>योग (क)</b>	<b>33,03,23,088.00</b>	<b>35,02,20,050.00</b>
<b>ख) जागरूकता और प्रचार</b>		
(i) सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम	0.00	12,53,336.00
(ii) कार्यशालायें/गोष्ठियाँ	7,65,942.00	11,09,859.00
(iii) वेबसाइट/साफ्टवेयर डेवलपमेंट	25,07,033.00	25,80,580.00
<b>योग (ख)</b>	<b>32,72,975.00</b>	<b>49,43,775.00</b>
<b>ग) संस्थागत व्यवस्था, बैठकें और अन्य</b>		
(i) एसएनएसी/एसएनएपी	1,93,703.00	21,22,629.00
(ii) स्थानीय स्तरीय समिति	14,19,600.00	7,77,300.00
(iii) वार्षिक आम बैठक	1,97,628.00	5,12,808.00
(iv) बोर्ड बैठक	3,66,900.00	1,82,454.00
(v) विविध अन्य बैठकें	70,672.00	1,05,509.00
<b>योग (ग)</b>	<b>22,48,503.00</b>	<b>37,00,700.00</b>

घ) शोध अध्ययन एवं सर्वेक्षण			
शोध एवं सर्वेक्षण	0.00	0.00	0.00
योग (घ)	0.00	0.00	0.00
महायोग( क ) से (घ)	33,58,44,566.00	33,58,44,566.00	35,88,64,525.00
अनुसूची 23 – ब्याज आदि			
क) नियत ऋणों पर	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	0.00	0.00	0.00
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) : डिमॉड ड्राफ्ट बनाने के लिये बैंक प्रभार	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

**राष्ट्रीय न्यास**  
ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के  
कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)  
छठीं मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

**अनुसूची -24: 31 मार्च 2025 के बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में**

**अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :**

**1. लेखांकन परम्परा:**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और लेखांकन की संग्रहण विधि पर आधारित होते हैं।

**2. वस्तु सूची मूल्यांकन**

3.1 स्टोर और स्पेयर्स, यदि कोई हो, का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3.2 कच्चे माल, आधे तैयार माल और तैयार माल का मूल्यांकन लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत का आधार भारित औसत मूल्य होती है। तैयार माल और आधे-तैयार माल की लागत सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्चों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

**3. निवेश**

3.1 “दीर्घकालिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की वहन लागत, यदि कोई हो, में अस्थायी के अलावा अन्य कमी का प्रावधान किया गया है।

3.2 “वर्तमान” के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है, न कि वैश्विक आधार पर, यदि कोई हो।

3.1 लागत में ब्रोकरेज, अंतरण स्टाम्प जैसे उपार्जन व्यय शामिल हैं।

**4. उत्पाद शुल्क**

निर्यात के अलावा स्वयं के लिये तैयार किये गये सामान के उत्पाद शुल्क की देयता वर्ष के अंत में उत्पादन के पूरा होने तथा उत्पाद कर योग्य निमित्त सामान यदि कोई हो- के प्रावधान पर तय की जाती है।

**5. अचल परिसंपत्तियां**

5.1 अचल परिसंपत्तियों की अधिग्रहण खर्च की गणना से संबद्ध आंतरिक भाडा शुल्क तथा करों और आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित लागत आधार पर की जाती हैं। निर्माण आधारित परियोजनाओं के मामले में संबद्ध परिचालन पूर्व व्यय (वित्तीय परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके ब्याज सहित) पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य का हिस्सा माने जाते हैं।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पस फंड के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को पूंजीगत निधि/आरक्षित निधि को अनुवर्ती ऋण के आधार पर बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

**6. मूल्य ह्रास:**

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों पर वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान, रु. 10,33,388/- (अनुसूची-8) को आय एवं व्यय में बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

**7. विविध व्यय:**

स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, उस वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

**8. निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना का लेखा जोखा:**

“निरामया” पर किए गए व्यय और शुल्क आदि के कारण प्राप्त राजस्व का लेखा-जोखा कार्यक्रम और परियोजनाओं के अंतर्गत “स्वास्थ्य बीमा योजना” नामक सामान्य खाता बही में दर्ज किया जाता है। हालाँकि, योजना पर किए गए कुल व्यय को अनुसूची-22 के तहत कार्यक्रम और परियोजनाओं के अंतर्गत दिखाया गया है और वर्ष के दौरान वसूल की गई फीस को अनुसूची-14 में “फीस/सदस्यता से आय” के तहत आय के रूप में दिखाया गया है।

**9. सरकारी अनुदान/सब्सिडी:**

9.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूंजीगत लागत के लिए योगदान की प्रकृति के सरकारी अनुदान, यदि कोई हो, को पूंजीगत आरक्षित माना जाता है और अर्जित विशिष्ट अचल संपत्तियों के संबंध में अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाया जाता है।

9.2 अन्य सरकारी अनुदानों को अनुसूची-13 के अनुसार अनुदान/सब्सिडी/प्रायोजन मद के अंतर्गत आय के रूप में दिखाया जाता है।

**10. विदेशी मुद्रा कारोबार:**

10.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का हिसाब-किताब उस तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

10.2 वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को अचल संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देनदारी अचल संपत्तियों से संबंधित है, और अन्य मामलों में है राजस्व माना जाता है।

**11 लीज :**

लीज किराये का व्यय लीज शर्तों के अनुसार किया जाता है।

**11. सेवानिवृत्ति लाभ :**

12.1 कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान 31.3.2025 को समाप्त वर्ष के खातों में किया गया है। इसके अतिरिक्त अवकाश नकदीकरण का भी प्रावधान 31.3.2025 को समाप्त वर्ष के खातों में किया गया है।

लेखाधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

## राष्ट्रीय न्यास

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता तथा बहुदिव्यांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)  
छठीं मंजिल, एनआईएसडी बिल्डिंग, प्लॉट नं. जी-2, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुसूची -25: 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट के हिस्से के रूप में

### अनुसूची 25 - आकस्मिक देनदारियां:

#### 1. आकस्मिक देनदारियां :

1.1 संगठन के दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_ (पिछले वर्ष रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_)

1.2 निम्न के संबंध में :

- संगठन की ओर से/की तरफ से दी गई बैंक गारंटी - रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_ (पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_)
- संगठन की ओर बैंक द्वारा खोले गये क्रेडिट पत्र --- रु. --- शून्य --- ( पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_)
- बैंकों से छूट प्राप्त बिल रु. --- शून्य \_\_\_ ( पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग :

- आय कर रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_ ( पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य ---)
- बिक्री कर रु. \_\_\_ शून्य \_\_\_ ( पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य ---)
- नगर निगम कर रु. --- शून्य \_\_\_ ( पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य ---)

1.4 आदेशों का निष्पादन करने हेतु संगठन द्वारा किये गये दावे --- रु. --- ( पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य ---)

#### 2. पूंजीगत प्रतिबद्धतायें:

पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (नेट अग्रिम राशि) रु. --- शून्य (पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य ---)

#### 3. लीज संबंधी वचनबद्धतायें:

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त लीज व्यवस्था के तहत किराये के लिए भविष्य की बाध्यताएं रु. --- शून्य (पिछला वर्ष रु. \_\_\_ शून्य ---)

#### 4. वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण तथा अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों का मूल्य सामान्य व्यावसायिक रूप से वसूली पर निर्भर करते हुये बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

#### 5. कराधान:

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई कर योग्य आय न होने के कारण आयकर का कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

**6. विदेशी मुद्रा कारोबार :**

6.1		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
-	सीआईएफ आधार पर आयात मूल्य की गणना		
-	निर्मित माल की खरीद	-	-
-	कच्चा माल और घटक (ट्रांजिट सहित)	-	-
-	पूंजीगत सामान	-	-
-	स्टोर्स, स्पेयर्स और उपभोग की वस्तुयें	-	-
6.2	विदेशी मुद्रा में व्यय :	शून्य	शून्य
a	यात्रा		
b	वित्तीय संस्थानों/बैंको को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज भुगतान		
c	अन्य व्यय:		
-	बिक्री पर कमीशन		
-	कानूनी और व्यावसायिक व्यय		
-	विविध व्यय		
6.3	आमदनी:		
	एफओबी आधार पर निर्यात मूल्य	शून्य	शून्य

**7. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक:**

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	लेखा परीक्षकों के लिये		
-	कराधान मामले	0.00	0.00
-	प्रबंधन सेवा	0.00	0.00
-	सी.ए.जी. का प्रमाणन	6,92,830	0.00
-	अन्य	0.00	0.00

8. जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया

9. अनुसूचियां 1 से 25 संलग्न हैं और 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय खाते का अभिन्न अंग हैं।

लेखाधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी